गरीब शहरी बस्तियों के लिए महिला सुरक्षा ऑडिट पुस्तिकाः बुनियादी सेवाओं के संदर्भ में

जागोरी

सहयोग : वीमेन इन सिटीज़ इंटरनैशनल

गरीब शहरी बस्तियों के लिए महिला सुरक्षा ऑडिट
पुस्तिका : बुनियादी सेवाओं के संदर्भ में नवंबर, 2010

लेखिका :
सुरभि टंडन महारोत्रा, कैथरीन ट्रेवर्स एवं प्रभा खोसला

सहयोग :
प्रभा खोसला, कैथरीन ट्रेवर्स (डब्ल्यूआईसीआई) एवं जागोरी टीम

अनुवाद :
योगेंद्र दत्त

जागोरी इस परियोजना में सहभागी उन सभी महिलाओं की हिस्सेदारी और योगदान के लिए धन्यवाद देती है जिन्होंने इसमें उदारतापूर्वक अपना समय और श्रम दिया है।

यह परियोजना वीमेन इन सिटीज़ इंटरनैशनल, कनाडा के साथ साझेदारी में संपन्न हुआ है और इसे इंटरनैशनल डेवलेपमेंट रिसर्च सेंटर (आईडीआरसी) कनाडा से सहयोग मिला है। यह परियोजना दि ऐक्शन रिसर्च प्रॉजेक्ट ऑन वीमेंस राइट्स ऐण्ड ऐक्सेस टू वॉटर ऐण्ड सेनिटेशन इन एशियन सिटीज़ (2009–2011) का हिस्सा है।

केवल सीमित प्रसार के लिए।
इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार जागोरी के अनुभवों पर आधारित हैं।

प्रकाशन :
जागोरी
बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
ईमेल : jagori@jagori.org
वेबसाइट : www.jagori.org

नवंबर 2010 में प्रकाशित

रेखांकन व पृष्ठ सज्जा :
सारथी इंडिया
वेबसाइट : www.sarathiindia.org

मुद्रक :
सिग्नेट जी–प्रेस

गरीब शहरी बस्तियों के लिए महिला सुरक्षा ऑडिट पुस्तिका: बुनियादी सेवाओं के संदर्भ में

जागोरी

सहयोग : वीमेन इन सिटीज़ इंटरनैशनल

विषय सूची

प्रस्तावना 1

I. पुस्तिका की पृष्ठभूमि 3

बुनियादी सेवाओं के संदर्भ में महिला सुरक्षा ऑडिट

– 'पुनर्वास' बस्तियों में जागोरी की सरगर्मियां 7

– महिलाओं की सुरक्षा, गरीब बस्तियां और बुनियादी सेवाएं 9

II. पुस्तिका की भूमिका 13

पुस्तिका का उद्देश्य 14

पुस्तिका की संरचना के बारे में 15

III. महिला सुरक्षा ऑडिट की तैयारी 17

पहला कदम : द्रुत परिस्थितिगत विश्लेषण (आरएसए) 19

दूसरा कदम : मुख्य सूचना प्रदाताओं से साक्षात्कार : सेवा प्रदाताओं का दृष्टिकोण 25

तीसरा कदमः विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (एफजीडी): 29

चौथा कदम : गहन साक्षात्कार : हाशियाकरण और पहुंच की परिधि 33

IV. महिला सुरक्षा ऑडिट 37

V. निष्कर्ष और आगे का रास्ता 51

परिशिष्ट 55

संदर्भ 67

प्रस्तावना

यह पुस्तिका वैश्विक सरोकारों के इर्द–गिर्द ज्ञान और शिक्षा के साधनों को रचने के लिए तमाम महाद्वीपों के लोगों की एकजुटता और साझेदारी का एक बेमिसाल उदाहरण है। यह जेंडर समानता के हक में और महिला विरोधी हिंसा के खिलाफ सक्रिय जागोरी द्वारा शहरी गरीब बस्तियों में महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) संचालित करने के लिए तैयार की गई एक उपयोगी मार्गदर्शक पुस्तिका है। नई दिल्ली की दो पुनर्वास बस्तियों में लागू की गई ऐक्शन रिसर्च प्रॉजेक्ट ऑन वीमेंस राइट्स ऐण्ड एक्सेस टू वाटर ऐण्ड सेनिटेशन इन एशियन सिटीज़ (2009–2011) वास्तव में जागोरी तथा वीमेन इन सिटीज़ इंटरनैशनल (डब्ल्यूआईसीआई) के बीच साझेदारी का परिणाम है। डब्ल्यूआईसीआई कनाडा का संगठन है जो कनाडा के अलावा अन्य देशों में भी काम कर रहा है। दिल्ली में इस परियोजना को ऐक्शन इंडिया के साथ साझेदारी में लागू किया गया है।

इस दौरान जागोरी और डब्ल्यूआईसीआई की साझेदारी काफी मजबूत हुई है और हमने महिला सुरक्षा पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त आयोजन भी किया है। सुरक्षा ऑडिट्स और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच से इस परियोजना के दौरान सीखने के एक से एक अनुभव मिले हैं। हम इंटरनैशनल डेवलेपमेंट रिसर्च सेंटर, कनाडा का भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा के सरोकारों को बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और उनके अधिकारों के साथ जोड़ने और उससे सीखने की जबर्दस्त संभावना दिखाई दी।

यह पुस्तिका एक शैक्षिक संसाधन है और हमें उम्मीद है कि यह दुनिया भर में दूसरे समूहों और समुदायों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वे महिलाओं की सुरक्षा तथा बुनियादी सेवाओं तक पहुंच के बीच मौजूद गहरे संबंधों की पड़ताल करेंगे ताकि महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसामुक्त और ज्यादा जेंडर समावेशी समुदायों की रचना की जा सके। जागेरी तथा वीमेन इन सिटीज़ इंटरनैशनल, दोनों संगठन उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुस्तिका पर काम किया है। हम इसके पढ़ने वालों से भी निवेदन करते हैं कि वे इस बहुमूल्य संसाधन का सदुपयोग करें।

विशेष रूप से हम सुरभि टंडन मेहरोत्रा को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस पुस्तिका को लिखा है।

हम डब्ल्यूआईसीआई में प्रभा खोसला और कैथरीन ट्रेवर्स के भी आभारी हैं जिन्होंने इस प्रकाशन में महत्वपूर्ण मदद दी। जागोरी टीम के सदस्य – चैतली हलधर, कैलास एवं सरिता बलोनी एवं एक्शन इंडिया टीम ने जो बहुमूल्य योगदान दिया उसका भी हम अभिनंदन करते हैं। यहां हम दिल्ली की दो पुनर्वास बस्तियों, बवाना और भलस्वा की महिला मुखियाओं के योगदान का विशेष रूप से धन्वाद देना चाहती हैं जिन्होंने अपनी समझ और ज्ञान से हमें अवगत कराया और इस अध्ययन के नतीजों को अमली जामा पहनाने का संकल्प व्यक्त किया है।

सुनीता धर
निदेशक, जागोरी
नई दिल्ली, नवंबर 2010

कैरॉलाइन एन्ड्रयू
अध्यक्ष, डब्ल्यूआईसीआई
मॉंट्रियाल, नवंबर 2010

I. पुस्तिका की पृष्ठभूमि

पिछले 25 साल से भी ज्यादा समय से जागोरी महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों पर काम कर रहा है। हमारे जीवन और समाज में जेंडर आधारित हिंसा विभिन्न स्तरों पर देखी जा सकती है। जेंडर आधारित हिंसा जन्म के समय से ही भेदभाव के रूप में शुरू हो जाती है। आगे चलकर शिक्षा, पोषण, रोजगार, तनख्वाहों और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं के रूप में यह हिंसा लगातार जारी रहती है।[1] सत्तर और अस्सी के दशकों में महिला आंदोलनों से जुड़ी अन्य महिलाओं के साथ जागोरी ने दहेज हिंसा और दहेज मौतों, बलात्कार और यौन हमले जैसे मुद्दों पर व्यापक प्रतिरोध आंदोलनों का नेतृत्व किया था।[2] यह एक महत्वपूर्ण दौर था। यहीं से महिला विरोधी हिंसा के इर्द–गिर्द फैली चुप्पी टूटनी शुरू हुई थी और कई कानूनी सुधारों का रास्ता खुला था।[3] निजी दायरों में महिला विरोधी हिंसा के सवालों पर काम करने के साथ–साथ जागोरी ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के जेंडर विभेदी इस्तेमाल और इन स्थानों पर महिलाओं के सामने पेश आने वाली मुश्किलों को भी संबोधित करना शुरू किया।

यह एक सुविदित बात है कि शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा का अहसास काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान पर महिलाओं का व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है या दूसरी महिलाओं के अनुभव किस तरह के रहे हैं। इन्हीं अनुभवों से महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन की रूपरेखा तय होती है। ये अनुभव उन्हें इस हद तक प्रभावित करते हैं कि उनकी आवाजाही कुंद होने लगती है। अपनी शारीरिक सुरक्षा के बारे में लगातार बना रहने वाला यह भय उनके व्यवहार का भी बदल देता है। इन अनुभवों का असर इतना खतरनाक होता है कि कई महिलाएं/लड़कियां अपने रोजमर्रा कामों को भी करने में नाकाम हो जाती हैं, वे शहर के सामान्य जीवन में हिस्सा नहीं ले पातीं; वे बेहिचक आवाजाही, पढ़ाई–लिखाई, काम व रोजगार या आमोद–प्रमोद की गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले पातीं। सुरक्षा का मतलब सिर्फ हिंसा से मुक्ति तक सीमित नहीं है। सुरक्षा का एक अर्थ ये भी है कि व्यक्ति हिंसा की आशंका या डर से भी मुक्त हो (देखें बॉक्स 1)।

---

1 यूएनडीपी 2010, पावर, वॉयसेज़ ऐण्ड राइट्स : ए टर्निंग प्वाइंट फॉर जेंडर इक्वॉलिटी इन एशिया ऐण्ड दि पैसिफिक।

2 जागोरी 2009, मार्चिंग टुगैदर, रेजिस्टिंग डावरी इन इंडिया।

3 जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेन सेफ्टी, टुवड्र्स ए जेंडर इन्क्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10

इन्हीं सवालों को संबोधित करने के लिए जागोरी ने 2005 में सुरक्षित दिल्ली अभियान (Safe Delhi Campaign) शुरू किया था ताकि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को व्यापक जनता की नजर में लाया जा सके। इस अभियान का एक मकसद ये था कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को एक गंभीर शहरी मुद्दे के रूप में मान्यता मिले और बढ़ती असुरक्षा को शहरीकरण के प्रभुत्वशाली मॉडलों और शहर की संस्कृति के साथ जोड़कर देखा जाए। सुरक्षित दिल्ली अभियान में इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए शोध, जनसंपर्क, दीर्घकालिक साझेदारियों और संचार सहित कई तरह के रास्ते अपनाए गए हैं।

सड़कें, पार्क, सामुदायिक क्षेत्र, कूड़ेदान और खुले स्थान, ये सभी सार्वजनिक स्थान होते हैं।

इस मुद्दे की व्यापकता और शक्ल–सूरत को समझने के लिए सबसे पहले शहर के विभिन्न भागों में 25 महिला सुरक्षा ऑडिट्स[4] (Women's Safety Audits) संचालित किए गए। महिला सुरक्षा ऑडिट्स में ऐसे पहलुओं का पता लगाया गया जो किसी जगह को महिलाओं व लड़कियों के लिए असुरक्षित बना देते हैं या उसके बारे में सुरक्षा और आत्मविश्वास का भाव जगाते हैं।

सुरक्षा ऑडिट में महिलाओं की एक टोली अपनी बस्ती के सार्वजनिक स्थानों से पैदल गुजरती है और ऐसी भौतिक या सामाजिक विशेषताओं को दर्ज करती जाती है जिनकी वजह से वह स्थान उन्हें सरुक्षित या असरुक्षित लगता है।

बॉक्स 1 : महिला सुरक्षा की परिभाषा[5]

महिलाओं की सुरक्षा का आशय ऐसी सभी रणनीतियों, व्यवहारों और नीतियों से है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, हिंसा के भय तथा जेंडर आधारित हिंसा (या महिला विरोधी हिंसा) को कम कर सकती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान भी जरूरी हैं। जगह की अवधारणा निरपेक्ष या तटस्थ नहीं होती। जो स्थान किसी व्यक्ति में भय पैदा करता है वह उसकी आवाजाही को

4 महिला सुरक्षा ऑडिट कैसे करें, इस बारे में विवरण के लिए देखें पृष्ठ 37
5 यूएन हैबीटेट 2008, दि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्टः 10

अवरुद्ध कर देता है। ऐसे में समुदाय द्वारा उस जगह का इस्तेमाल घटने लगता है। किसी स्थान पर कम आवाजाही और वहां सहज महसूस न कर पाना एक तरह की सामाजिक बेदखली ही है। इसी तरह, कई स्थान हमारे भीतर सुरक्षा और सहजता का भाव भी पैदा करते हैं और हिंसा को हतोत्साहित करते हैं। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की योजनाओं और नीतियों में महिलाओं को हमेशा शामिल किया जाना चाहिए और उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।[1]

महिलाओं की सुरक्षा का मतलब है गरीबी से आजादी। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को पानी के साधनों तक सुरक्षित पहुंच मिले, अनौपचारिक बस्तियों में सामुदायिक शौचालय हों और वे सुरक्षित हों, झोपड़पट्टियों की दशा में सुधार लाया जाए, सड़कों की बनावट और शहर की रूपरेखा जेंडर संवेदी हो, कार पार्किंग, शॉपिंग सेंटर और सार्वजनिक परिवहन साधन महिलाओं के लिए सुरक्षित हों।[2]

महिलाओं की सुरक्षा का मतलब है आर्थिक सुरक्षा और स्वायत्तता। महिलाओं के साथ होने वाली मारपीट पर रोक लगाने में पारिवारिक आय एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। किसी भी उत्पीड़क संबंध से निपटने के लिए संसाधन जुटाने और जमा करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे हिंसा की आशंका वाली परिस्थितियों से बच जाती हैं क्योंकि अब पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है और वे खुद अपने फैसले ले सकती हैं।

महिलाओं की सुरक्षा का मतलब है खुद को अहमियत देना। सुरक्षित घरों और समुदायों में महिलाओं के पास खुद को महत्वपूर्ण मानने, अपना सशक्तिकरण करने, सम्मान पाने, स्वतंत्र रहने, अपने अधिकारों के लिए सम्मान अर्जित करने, प्रेम पाने, परिजनों एवं समुदाय के साथ एकजुटता महसूस करने और समाज में बराबर की सदस्यों के रूप में मान्यता पाने का अधिकार होता है।[3]

महिलाओं की सुरक्षा में ऐसी रणनीतियां और नीतियां आती हैं जो हिंसा होने या किसी पीड़ित को प्रताड़ित किए जाने से पहले अस्तित्व में आ जाती हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब घरेलू या यौन हिंसा को जन्म देने वाले कारणों से संबंधित रवैयों और समझदारी में सुधार लाया जाए। मसलन, हिंसा को बढ़ावा देने वाले सामाजिक कायदे–कानूनों, पुरुषों की श्रेष्ठता और पुरुषों के यौन अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक कायदे–कानूनों पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। सामुदायिक जीवन में महिलाओं व लड़कियों की सहभागिता को भी जरूर बढ़ावा

दिया जाना चाहिए। स्थानीय सामुदायिक संगठनों व स्थानीय शासन के बीच साझेदारी पर जोर दिया जाना चाहिए और इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में तमाम तरह की महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी हो। हिंसा की रोकथाम के लिए ऐसे दीर्घकालिक, व्यापक और समग्र प्रयास किए जाने चाहिए जो हिंसा को बढ़ावा देने, पीड़ित को प्रताड़ित करने और जान–बूझकर आंख फेर लेने जैसे व्यवहारों पर रोक लगा सकते हैं।[4]

महिलाओं की सुरक्षा का मतलब है सबके लिए सुरक्षित, स्वस्थ समुदाय का निर्माण। यह सामुदायिक कायदे–कानूनों, सामाजिक मेल–जोल के रुझानों, मूल्य–मान्यताओं, रीति–रिवाजों और संस्थानों को बदलने वाली एक सहभागी प्रक्रिया है जिससे समुदाय के सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।[5] यह ऐसे प्रयासों का एक स्वाभाविक सह–उत्पाद है जो पारिवारिक खींचतान, संबंधों, गरीबी, नस्लवाद और/या यौन हिंसा की रोकथाम जैसे मुद्दों को दुरुस्त करने के लिए किए जाते हैं। एक स्वस्थ, सुरक्षित समुदाय का निर्माण हम सबकी जिम्मेदारी है।[6]

1. ऐना बोफिल लेवी, रोजा मारिया डूमेन्ख़ो एवं इसाबेल सेगूरा सोरियानो, "वीमेन ऐण्ड दि सिटी, मेनुअल ऑफ रेकमंडेशंस फॉर ए कॉनसेप्शन ऑफ इनहेबीटेड एनवायर्नमेंट फ्रॉम दि प्वाइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर, फंडेसियॉन मारी आऊरेलिया कंपनी।
2. एलिसिया योन, "सेफर सिटीज़ फॉर वीमेन आर सेफर फॉर एवरीवन", हैबीटेट डिबेट, यूएन हैबीटेट (सितंबर 2007, खंड 13, संख्या 3), 9
3. मैरी एल्सबर्ग एवं लॉरी हीस, "रीसर्चिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन : ए प्रेक्टिकल गाइड फॉर रिसचर्स ऐण्ड एक्टिविस्ट्स", वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐण्ड प्रोग्राम फॉर एप्रॉप्रिएट टैक्नोलॉजी इन हेल्थ, 2005
4. मॉरगन जे कर्टिस, "एंगेजिंग कम्युनिटीज इन सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंशन : ए गाइडबुक फॉर इंडीविजुअल्स ऐण्ड आर्गेनाइजेशंस एंगेजिंग इन कलेबॉरेटिव प्रिवेंशन वर्क", टैक्सास एसोसिएशन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट।
5. डेविड एस. ली, लीडिया गाई, ब्रेड पैरी, चाड कियोनी स्निफेन एवं स्टेसी आलामो मिक्सोन, "सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंशन", दि प्रिवेंशन रिसर्चर, खंड 14 (2), अप्रैल 2007.
6. मॉरगन जे कर्टिस, "एंगेजिंग कम्युनिटीज इन सेक्सुअल वायलेंस प्रिवेंशन : ए गाइडबुक फॉर इंडीविजुअल्स ऐण्ड आर्गेनाइजेशंस एंगेजिंग इन कलेबॉरेटिव प्रिवेंशन वर्क", टैक्सास एसोसिएशन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट।

सुरक्षा ऑडिट के नतीजों का इस्तेमाल सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित प्रयासों की रूपरेखा तय करने और शासन पर इस बात का दबाव डालने के लिए किया गया है कि शहरी नियोजन, रू परेखा व हस्तक्षेपों के निर्धारण में महिलाओं की राय को भी शामिल किया जाए। इन निष्कर्षो के आधार पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जेंडर अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। मार्च 2007 में सुरक्षा ऑडिट्स की रिपोर्ट इज़ दिस आवर सिटी? मैपिंग सेफ्टी फॉर वीमेन इन डेल्ही 6 और उस पर आधारित फिल्म इज़ दिस आवर सिटी?जारी की गई

6 जागोरी 2007, इज दिस आवर सिटी? मेपिंग सेफ्टी फोर वीमेन इन दिल्ली।

थी। इन दस्तावेजों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया गया था। इसके साथ ही मीडिया में अभियान चलाया गया और जनजागरूकता व जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की गईं।

अभियान का अगला चरण 2009 में शुरू हुआ। इस चरण में जागोरी ने दिल्ली में जेंडर असमानता और महिलाओं की बेदखली के नाना आयामों को समझने के लिए बड़े पैमाने के सर्वेक्षण और सुरक्षा ऑडिट्स शुरू किए। इन सर्वेक्षणों में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों और उसके विभिन्न आयामों की पड़ताल की गई। इस बात को भी देखा गया कि कौन सी चीजें महिलाओं के लिए सुरक्षा और समावेशन का भाव पैदा करती हैं। इन सर्वेक्षणों और ऑडिट्स में महिलाओं के उत्पीड़न व सुरक्षा की कमी के बारे में महिलाओं और पुलिस, दोनों की प्रतिक्रियाओं को समझने का भी प्रयास किया गया। अंततः, इस अध्ययन से ये पता लगाने में भी मदद मिली कि महिलाएं किस तरह के स्थानों को असुरक्षित और अपनी पहुंच के बाहर मानती हैं। अब जागोरी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करने की योजना पर काम कर कर रहा है।[7]

बुनियादी सेवाओं के संदर्भ में महिला सुरक्षा ऑडिट

पुनर्वास' बस्तियों में जागोरी की सरगर्मियां

जागोरी दिल्ली की दो पुनर्वास बस्तियों – बवाना और मदनपुर खादर – में कई साल से महिलाओं के बीच काम कर रहा है। इन दोनों बस्तियों में महिलाओं व लड़कियों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा और उनके अधिकारों के सवालों पर जागोरी की साथी काफी समय से सक्रिय हैं। सरकार ने इन दोनों बस्तियों के लोगों को शहर के मध्य भागों की बस्तियां तोड़कर शहर के इन सीमांत इलाकों में बसाया है। इन्हीं में से एक पुनर्वास बस्ती में जागोरी द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि शहरों से झुग्गी बस्तियों को हटाने के इन अभियानों में मानवाधिकारों का जितने बड़े पैमाने पर हनन हुआ है उससे हाशियाई तबकों की महिलाओं पर सबसे गहरे असर पड़े हैं।[8] इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों के अटेंडेंट भी अकसर लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं। इन बस्तियों के आसपास स्थित गांवों के लोग भी उनका शोषण करते हैं क्योंकि वे इन लोगों को अभी भी घुसपैठिया और बाहरी मानते हैं।

---

7 जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेन सेफ्टी, टुवर्ड्स ए जेंडर इन्क्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10

8 मेनन–सेन, कल्याणी एवं गौतम भान 2008, स्वेप्ट ऑफ दि मैप, सरवाइविंग एविक्शन ऐण्ड रिसेटलमेंट इन डेल्ही, योदा प्रेस, जागोरी।

यह पुस्तिका ऐसे ही दो पुनर्वास क्षेत्रों के अनुभवों पर आधारित है। यह पुस्तिका जागोरी और ऐक्शन इंडिया द्वारा वीमेन इन सिटीज इंटरनैशनल के साथ मिलकर की गई एक कार्यशोध परियोजना पर आधारित है। दि ऐक्शन रिसर्च प्रॉजेक्ट ऑन वीमेंस राइट्स ऐण्ड एक्सेस टू वॉटर ऐण्ड सेनिटेशन इन एशियन सिटीज़ (2009–2011) नामक इस परियोजना का मकसद ये पता लगाना था कि महिला सुरक्षा ऑडिट्स का जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, निकासी, ठोस कचरा व बिजली जैसी सुविधाओं के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इस कार्यशोध परियोजना को नई दिल्ली की दो पुनर्वास बस्तियों में लागू किया गया था। इस शोध परियोजना में पानी, स्वच्छता, निकासी, ठोस कचरे व बिजली आदि सुविधाओं की डिलीवरी में जेंडर आधारित फासलों और इससे महिलाओं की सुरक्षा व कुशलता पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल की गई थी। दोनों महिला संगठनों की टीमों ने शोध के उपकरण व पद्धति विकसित करने के लिए समुदाय की महिलाओं के साथ मिलकर लगातार काम किया। यह शोध जून 2009 से अप्रैल 2010 के बीच किया गया था।

इस कार्यशोध परियोजना के लिए चुनी गई झुग्गी बस्तियों में से एक बस्ती बवाना की है। इस बस्ती के लोगों को पूर्वी दिल्ली से उजाड़कर शहर के किनारे स्थित बवाना के पास लाकर बसाया गया था। बवाना उत्तर–पश्चिमी दिल्ली का एक पुनर्वास स्थल है। यहां आए पुनर्वासित लोगों के पुराने घरों से यह जगह 35 किलोमीटर दूर पड़ती है। दूसरा पुनर्वास स्थल उत्तर–पूर्वी में भलस्वा के पास स्थित है। यहां के निवासियों को मध्य एवं दक्षिणी दिल्ली से लाकर बसाया गया था। ये लोग अपने पुराने घरों से 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आकर बसे हैं। इस बस्ती के बगल में एक विशाल लैंडफिल फैला हुआ है। शोध के समय (2009–10) बवाना की

आबादी लगभग 1,30,000 थी और भलस्वा की आबादी लगभग 22,000 थी। ये लोग बवाना में पांच साल से और भलस्वा में 9 साल से रहे हैं।

इस कार्यशोध परियोजना से पुनर्वास बस्तियों में बुनियादी ढांचे की रूपरेखा और सेवाओं की व्यवस्था के लिहाज से जेंडर और अधिकारों के बारे में कई अहम सवाल सामने आए हैं। इस शोध से सेवाओं की उपलब्धता में लैंगिक फासलों और उनके परिणामों का भी पता चला है। मिसाल के तौर पर, हम इस शोध के आधार पर ये समझ सकते हैं कि पुनर्वास की रूपरेखा और सामुदायिक जीवन के वे कौन से पहलू हैं जो महिलाओं व लड़कियों की असुरक्षा को बढ़ा देते हैं? इन मुद्दों की गहरी समझदारी से पुनर्वास की भावी योजनाओं को तय करने और यह सुनिश्चित करने में किस तरह मदद मिल सकती है कि नियोजन, बुनियादी ढांचे की रूपरेखा और शासन की प्रक्रियाओं में महिलाओं की आवाजों, जरूरतों और हितों को पूरा सम्मान और जगह मिले?

महिलाओं की सुरक्षा, गरीब बस्तियां और बुनियादी सेवाएं

जैसा कि पीछे जिक्र किया जा चुका है, सुरक्षा का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति हिंसा से आजाद हो बल्कि इसका एक मतलब ये भी है कि हमें हिंसा की आशंका या भय न हो। महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा की अवधारणा किसी भी तरह की हिंसा या उसके भय से बहुत व्यापक है। महिलाओं के लिए सुरक्षा की अवधारणा को अधिकारों की व्यापक रूपरेखा के साथ जोड़ कर देखना बहुत जरूरी है। यहां सुरक्षा का मतलब सिर्फ आवास की सुरक्षा से नहीं है बल्कि गरीबी और हिंसा से आजादी से भी है जो शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं तक महिलाओं व लड़कियों की पहुंच को प्रभावित करती है और उनकी कमाई और नागरिकों के रूप में पूर्ण अधिकारों के उपयोग को भी कुंद कर देती है।

झुग्गी बस्ती, सड़क किनारे मौजूद आबादी और पुनर्वास बस्तियों जैसे गरीब इलाकों में नियमित आजीविका, शिक्षा, बुनियादी सेवाओं और स्वास्थ्य आदि तक नियमित पहुंच की भारी समस्या रहती है। यहां पानी और स्वच्छता सेवाएं खासतौर से नाकाफी होती हैं। न केवल उनके रख–रखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि इन सुविधाओं की जगह भी बहुत लापरवाही से तय कर दी जाती है। आधी–अधूरी निकासी व्यवस्था और कचरा निस्तारण से जुड़े पहलू भी महिलाओं व लड़कियों के भीतर असुरक्षा के बोध को बढ़ा देते हैं। बिजली की सप्लाई भी बुनियादी सेवाओं का ही हिस्सा है क्योंकि इससे दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल और संचालन रूक जाता है।

ज्यादातर समाजों की तरह हमारे परियोजना क्षेत्र में भी घरों का जिम्मा मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों के ही कंधों पर रहता है। लिहाजा, जब समुदाय को पर्याप्त सेवाएं नहीं मिलतीं तो सबसे गहरा असर इन्हीं पर पड़ता है क्योंकि इन्हें पानी और साफ–सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं का इंतजाम करने में अच्छा–खासा समय और मेहनत लगानी पड़ती है। दिल्ली में इन सेवाओं का बुनियादी ढांचा और उसकी रूपरेखा अकसर महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय नहीं की गई है। मिसाल के तौर पर, कुछ सामुदायिक शौचालयों की छतें पूरी नहीं हैं जिसकी वजह से लड़के और पुरुष अकसर महिलाओं के शौचालयों में झांकते रहते हैं। इसी तरह, जब कोई और विकल्प नहीं होता है तो महिलाओं को खुले में शौच जाना पड़ता है। सामुदायिक शौचालय परिसरों के रख–रखाव का अभाव, दिन के कुछ अवसरों पर सीमित पहुंच, पानी की कम आपूर्ति और महिलाओं के मासिक चक्र संबंधी कचरे को फेंकने की सुविधाओं का अभाव, ये सारे ऐसे पहलू हैं जो विभिन्न सेवाओं के विषय में जेंडर के फासले को दर्शाते हैं।

सामाजिक परिस्थितियों से भी विभिन्न सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ जगह पुरुष चौकीदारों के यार–दोस्त आकर शौचालय परिसर में जमघट लगा लेते हैं जिससे महिलाओं को वहां असुरक्षित और असहज लगने लगता है। कई बार शौचालयों को भीड़–भाड़ वाले इलाकों की बगल में या पुरुषों की भीड़ वाले स्थानों के आसपास बना दिया जाता है। ऐसे स्थानों को पार करके शौचालय में जाने के लिए महिलाओं को खासी हिम्मत जुटानी पड़ती है। किसी जगह की बनावट और सामाजिक इस्तेमाल के ये सारे पहलू इस बात का उदाहरण हैं कि सेवाओं की बनावट और उपलब्धता के मामले में जेंडर आधारित फासला कितना ज्यादा है।

हमने देखा है कि महिलाओं की प्राइवेसी और इज्जत के साथ इस खिलवाड़ के अलावा ये भी सच है कि सुरक्षा के अहसास और सेवाओं की कमी के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। जब महिलाएं और लड़कियां इन सेवाओं का उपयोग करती हैं तो उन्हें शारीरिक हिंसा, यौन हमलों और डराने–धमकाने जैसी हरकतों का भी सामना करना पड़ता है। घूरना, राह चलते औरतों के साथ रगड़ कर चलना या इन सेवाओं के लिए जाते समय महिलाओं व लड़कियों पर भद्दे फिकरे कसना, ये सब इसी तरह के उदाहरण हैं। दिल्ली के इन दोनों इलाकों में महिलाओं को जो उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है उसके दूसरे आयामों का संक्षिप्त विवरण इस बात को और स्पष्ट कर देता है। हमारा मानना है कि दिल्ली की महिलाओं के ये अनुभव दूसरे शहरों और देशों की गरीब बस्तियों की महिलाओं के जीवन में भी देखे जा सकते हैं।

1. शौचालयों में यौन उत्पीड़न की घटनाएं। महिलाओं ने बताया कि लड़के और पुरुष अकसर शौचालय के औरतों वाले हिस्से में घुस जाते हैं।
2. महिलाओं ने बताया कि जब वे खुले में शौच के लिए जाती हैं तो पुरुष उनका पीछा करते हैं। वे उनके साथ अकसर जोर–जबर्दस्ती भी करते हैं।
3. जब महिलाएं, खासतौर से लड़कियां टैंकरों से पानी भरती हैं तो पुरुष और लड़के उनके साथ धक्का–मुक्की करते हैं। अगर उन्हें पानी के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है तो भी वे उनका पीछा करते हैं।
4. खराब निकासी व्यवस्था से महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा और खुशहाली पर असर पड़ता है क्योंकि सड़कों और गलियों में गंदा पानी भर जाने से उनके लिए सड़कों पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है।
5. इन सेवाओं को चालू रखने के लिए बिजली का इंतजाम बहुत जरूरी है। महिलाओं ने बताया कि जब भी बिजली भागती है तो पुरुष महिलाओं के शौचालयों में घुस जाते हैं। बिजली चले जाने पर शौचालय परिसरों को अकसर बंद कर दिया जाता है जिसके कारण महिलाओं को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। ऐसे में उनके उत्पीड़न का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

"जब शौचालय परिसर में चौकीदार के दोस्तों का पूरा झुंड जमा हो जाता है और वे लड़कियों को घूरने लगते हैं तो लड़कियों को शौचालय जाने में बहुत परेशानी होती है।" शौचालय परिसरों में लड़कियों के यौन उत्पीड़न पर 40–45 साल की एक महिला का बयान।

II. पुस्तिका की भूमिका

इस पुस्तिका में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि गरीब बस्तियों में बुनियादी सेवाओं के इस्तेमाल की दृष्टि से महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को महिला सुरक्षा ऑडिट्स (डब्ल्यूएसए) के जरिए किस तरह संबोधित किया जा सकता है। इस सहभागी साधन से महिलाओं को अपनी नजर से किसी जगह की सुरक्षात्मक स्थिति का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। डब्ल्यूएसए में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे से जुड़े ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जिनके चलते कोई स्थान महिलाओं के लिए असुरक्षित हो जाता है। डब्ल्यूएसए में इस बात की भी पड़ताल की जाती है कि पुरुष और महिला किसी स्थान का अलग–अलग ढंग से किस तरह इस्तेमाल करते हैं (यानी जगह का जेंडर आधारित प्रयोग)। इन दोनों बातों से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा प्रभावित होती है। दि मेट्रोपॉलिटन ऐक्शन कमेटी ऑन पब्लिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ऐण्ड चिल्ड्रेन (मेट्राक), टोरंटो, कनाडा ने 1989 में महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) की पद्धति विकसित की थी। उन्होंने डब्ल्यूएसए को परिभाषित करते हुए कहा था : "ये एक ऐसी पद्धति है जिससे किसी वातावरण का उन लोगों की नजर से मूल्यांकन किया जा सकता है जो उसमें असुरक्षित महसूस करते हैं और इस पद्धति से हमले की आशंका को कम करने वाले बदलाव लाए जा सकते हैं...।"[9] बाद के सालों में कनाडा के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नीदरलैंड, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और तंज़ानिया आदि कई दूसरे देशों में भी इस पद्धति का व्यापक इस्तेमाल किया गया है।

डब्ल्यूएसए पद्धति में ऐसी स्थानीय महिलाओं व लड़कियों को इकट्ठा किया जाता है जो आसपास के स्थानों का नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं – मसलन, कोई सड़क या पार्क। ऑडिट के लिए ये महिलाएं और लड़कियां उस जगह से पैदल गुजरती हैं और वहां के माहौल की ऐसी चीजों को दर्ज करती जाती हैं जो जिनकी वजह से वह जगह महिलाओं को असुरक्षित लगती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय शासन के प्रतिनिधियों की भी हिस्सेदारी हो तो अच्छा रहता है क्योंकि तब सुरक्षा व सुधार के लिए जरूरी बदलाव जल्दी लाए जा सकते हैं। पैदल यात्रा के बाद समुदाय की सदस्याएं ऐसे सारे कारकों को दर्ज करती हैं जिनकी वजह से वह जगह असुरक्षित हो गई है। वे उन समस्याओं की फेहरिस्त तैयार करती है जिनको सरकारी संस्थाओं के जरिए हल किया जा सकता है। इन बदलावों को लागू करवाने के लिए सरकार के साथ बात

---

9 मेट्राक : कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम
http://www.metrac.org/about/downloads/about.metrac.brochure.pdf पर उपलब्ध।

करने में ये महिलाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। डब्ल्यूएसए पद्धति को स्थानीय परिस्थितियों या किसी खास जगह की समस्याओं के हिसाब से बदला भी जा सकता है।

डब्ल्यूएसए पद्धति का संचालन करने वाले संगठन के लिए समुदाय की महिलाओं व लड़कियों को साथ जोड़ना बहुत जरूरी होता है। इस कार्यशोध परियोजना में दोनों ही महिला संगठन महिला विरोधी हिंसा, महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के मुद्दों पर दो पुनर्वास बस्तियों में पहले से ही काम कर रहे थे। लिहाजा, दोनों जगह स्थानीय महिलाओं के साथ बने पुराने संबंधों से महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं के मुद्दों पर काम करने में काफी आसानी रही। बवाना में जागोरी टीम के साथ काम कर रही महिलाओं का एक समूह पहले ही स्वच्छता सेवाओं के सिलसिले में जागोरी से संपर्क कर चुका था। इस परियोजना से जागोरी टीम को बुनियादी सेवाओं पर इन महिलाओं को सक्रिय करने में काफी मदद मिली।

पुस्तिका का उद्देश्य

इस पुस्तिका का एक मकसद ये है कि गरीब समुदायों में बुनियादी सेवाओं पर काम कर रहे संगठनों को डब्ल्यूएसए पद्धति के इस्तेमाल और उसमें संशोधन के तीकों से अवगत कराया जाए। हमने भी इस अध्ययन के लिए डब्ल्यूएसए मॉडल में कुछ जरूरी संशोधन किए हैं ताकि पानी, शौचालय, नालियों के जाल, कचरा निस्तारण और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा सके। हालांकि यह मॉडल दिल्ली के अनुभवों पर आधारित है लेकिन इनमें से बहुत सारे मुद्दे झुग्गियों, अनौपचारिक बस्तियों और शहर के अर्द्धशहरी इलाकों में रहने वाले दूसरे लोगों की जिंदगी का भी हिस्सा हैं। जैसा कि इस कार्यशोध परियोजना से पता चलता है, इस पद्धति का दुनिया भर के दूसरे समुदायों और शहरों में भी इस्तेमाल किया जा चुका है और सभी जगह उसमें संशोधन किए जाते रहे हैं। समुदाय आधारित संगठन, एनजीओ (खासतौर से पानी और स्वच्छता के सवालों पर सक्रिय संगठन), महिलाओं के संगठन और स्थानीय महिलाएं इस पुस्तिका के सहारे महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए सेवाओं की उपलब्धता में लैंगिक फासले को पहचान सकती हैं और इस फासले को दूर करने के लिए कदम उठा सकती हैं। इसके आधार पर वे स्थानीय सेवा प्रदाताओं या संस्थाओं से इस बारे में चर्चा कर सकती हैं कि सेवाओं के स्तर में सुधार के लिए क्या रास्ता चुना जा सकता है।

इस कार्यशोध परियोजना से जो सबक मिले हैं उनके आधार पर हमारी राय है कि डब्ल्यूएसए गतिविधि शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप इन तैयारियों पर ध्यान देंगे तो आपकी टीम की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय समुदाय व स्थानीय

सेवाओं की उनकी समझदारी में इजाफा होगा और सुरक्षा पैदल यात्रा और सेवा प्रदाताओं के साथ होने वाली वार्ताओं में आप ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को संबोधित कर पाएंगे। हमारा फोकस बुनियादी सेवाओं की बनावट और स्थान, इन सेवाओं से जुड़े स्थानों के जेंडर आधारित इस्तेमाल और अधूरी सेवाओं पर रहा है जिनके कारण महिलाओं को अलग–अलग तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। डब्ल्यूएसए समायोजन के विभिन्न चरणों का ब्यौरा आगे दिया गया है और हम डब्ल्यूएसए का इस्तेमाल करने के इच्छुक संगठनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसमें और बदलाव कर लें।

पुस्तिका की संरचना के बारे में

आगे के पन्नों में इस बात का कदम–दर–कदम ब्यौरा दिया गया है कि बुनियादी सेवाओं पर ध्यान देते हुए शहरों के गरीब इलाकों में डब्ल्यूएसए गतिविधि कैसे संचालित की जाए। डब्ल्यूएसए प्रक्रिया के विभिन्न हिस्सों को संपन्न करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश भी मुहैया कराए गए हैं। हर कदम पिछले कदम की अगली कड़ी है। नीचे जो प्रक्रिया बताई गई है उसमें यहां सूचीबद्ध कदम भी शामिल हैं।

महिला सुरक्षा ऑडिट प्रक्रिया के कदम

पहला कदम

समुदाय में बुनियादी सेवाओं का द्रुत परिस्थितिगत विश्लेषण

दूसरा कदम

सेवा प्रदाताओं की सोच और रवैये से समझने के लिए मुख्य सेवा प्रदाताओं के साथ साक्षात्कार

तीसरा कदम

सेवाओं में जेंडर आधारित फासले से विभिन्न लोगों पर कौन से खास असर पड़ते हैं ये समझने के लिए महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के विभिन्न समूहों के साथ विषयवार चर्चा करना।

चौथा कदम

हाशियाकरण और पहुंच संबंधी मुद्दों के विभिन्न आयामों को समझने के लिए समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के साथ गहन साक्षात्कार।

पांचवां कदम

बुनियादी सेवाओं तक जाने के दौरान महिलाओं और लड़कियों को किस तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और सुरक्षा के आयाम कैसे हैं ये जानने के लिए सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्रा करना।

छठा कदम

बुनियादी सेवाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय के लोग शासन से बात करते हैं ताकि समुदायों को महिलाओं और लड़कियों के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके और इस तरह समुदाय के सभी निवासियों के लिए और सुरक्षित वातावरण गढ़ा जा सके।

III. महिला सुरक्षा ऑडिट की तैयारी

पहला कदम :
द्रुत परिस्थितिगत विश्लेषण (आरएसए) - मौजूदा सेवाओं का नक्शा बनाना

महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) के संचालन और क्रियान्वयन के लिए एक टीम बना लें। स्थानीय निवासियों के साथ–साथ संचालक संगठन की/के कुछ सदस्यों/सदस्याओं को भी टीम में शामिल करें। ऑडिट का मुख्य जोर महिलाओं व लड़कियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर है इसलिए टीम में महिलाओं की ज्यादा संख्या होनी चाहिए। महिलाओं में युवा व वृद्ध, सभी तरह की महिलाएं होनी चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को देखा और दर्ज किया जा सके। अगर बस्ती में अल्पसंख्यक समुदायों के लोग भी रहते हैं तो उनको भी टीम में शामिल करें।

(1) आर एस ए के उद्देश्य

आरएसए का मकसद डब्ल्यूएसए टीम को मौजूदा बुनियादी ढांचे और सेवाओं से अवगत कराना और जेंडर, उम्र और स्थान की दृष्टि से समुदाय के सदस्यों पर उनके प्रभावों को समझना है।

"मैं पिछले पांच साल से यहां रह रही हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि नए ब्लॉकों में नालियों की बनावट पुराने ब्लॉकों से इतनी अलग है।" बवाना में द्रुत परिस्थितिगत विश्लेषण टीम में शामिल एक स्थानीय निवासी की

(2) आर एस ए के चरण

सबसे पहले महिला सुरक्षा टीम स्थानीय समुदाय में विभिन्न सेवाओं के बुनियादी ढांचे का नक्शा बनाना शुरू करती है। यह काम प्रेक्षणों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत के आधार पर किया जा सकता है। सेवा डिलीवरी स्थानों का पता लगाने का एक आसान तरीका यह है कि उन्हें खास संदर्भ संख्याएं दे दी जाएं। जैसे फेज़ 1, शौचालय परिसर संख्या 2, सड़क के 35–50 मकान नंबरों पर पानी का नल, आदि। अगर सड़कों के नंबर पड़े हुए हैं तो इन नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कूड़ेदानों और नालियों की जगह को भी सड़कों, गलियों

आदि के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है। आप जिन सेवाओं को देखें उन सभी के लिए कौन सी एजेंसियां या निकाय जिम्मेदार हैं इसको भी दर्ज करते जाएं। ऑडिट टीम स्थानीय निवासियों से भी यह पता लगा सकती है कि उन्हें सेवाओं के बारे में कोई जानकारी/पता है या नहीं (मसलन, सेवा प्रदाता कौन हैं?मरम्मत का काम किसके जिम्मे है? सुविधाओं की साफ–सफाई, मरम्मत कब–कब होती है?)।

आर एस ए में जिन सेवाओं को शामिल किया जा सकता है उनका उल्लेख नीचे किया गया है:[10]

महिला सुरक्षा टीम सेवाओं के दस्तावेजीकरण के लिए खुद अपनी रूपरेखा तैयार कर सकती है। यह रूपरेखा हर सेवा के लिए अलग–अलग भी हो सकती है।

(1) पानी के बिंदु :

- सेवाओं की दशा, खासतौर से पानी के नलकों का पता लगाएं। क्या वे चालू हालत में हैं? अगर चालू नहीं हैं तो इसके क्या कारण हैं?क्या वे टूटे हुए हैं?क्या उनकी मरम्मत की जरूरत है?क्या उनके पुर्जे गायब हैं?या कोई और कारण है?
- अलग–अलग स्रोतों से दिन के अलग–अलग समय पर कौन लोग पानी भरते हैं?

(2) शौचालय परिसरः

- पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए नहाने, कपड़े धोने और शौच के लिए उपलब्ध इकाइयों की संख्या दर्ज करें।
- इनमें से कितनी इकाइयां चालू हैं और कितनी बंद पड़ी हैं?जो बंद हैं वे क्यों बंद हैं?क्या वे टूट गई हैं?क्या उनकी मरम्मत की जरूरत है?कोई और कारण?
- क्या प्रयोक्ता शुल्क लिया जा रहा है? अगर हां तो शौचालय सुविधाओं के इस्तेमाल का शुल्क क्या है?क्या यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग–अलग शुल्क हैं?
- प्रत्येक शौचालय परिसर दिन में कितने घंटे खुलता है?
- ये भी दर्ज करें कि शौचालय परिसर में अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी एक ही व्यक्ति है या ये दो अलग–अलग व्यक्ति हैं?वे पुरुष है या महिलाएं हैं?

---

10 इन सेवाओं के बारे में विस्तृत नोट्स रखना फायदेमंद रहेगा।
हमारे टीम में जो प्रारूप इस्तेमाल किया उसका एक नमूना पृष्ठ 40 पर देखा जा सकता है।

(3) कचरा निस्तारण बिंदु :

- निर्धारित और अनौपचारिक, दोनों तरह के कूड़ेदानों या कचरा निस्तारण स्थलों को चिन्हित करें।
- अलग–अलग स्थलों पर कौन कचरा फेंकते हैं?ये चिन्हित करें कि कचरा फेंकने महिलाएं/लड़कियां आती हैं या पुरुष/लड़के आते हैं?
- स्थानीय निवासियों से पूछें कि अलग–अलग कचरा निस्तारण बिंदुओं पर कचरा उठाने का क्या तरीका रहता है। सेवा प्रदाता कब–कब कचरा उठाते हैं?

(4) नालियां :

- नालियों की बनावट और मरम्मत को चिन्हित करें। क्या नालियों में उतार–चढ़ाव की बनावट इस तरह रखी गई है कि पानी सामान्य रूप से बहता रहता है?
- क्या नालियां ढंकी हुई हैं?
- क्या नालियों में ठोस कचरा भरा हुआ है?इस ठोस कचरे का क्या किया जाता है?
- निवासियों से पूछें कि सेवा प्रदाता नालियों की कितनी नियमित रूप से सफाई करते हैं।
- क्या स्थानीय निवासी भी नालियों को साफ करते हैं?यदि हां तो उन्हें कौन साफ करते हैं – महिलाएं/लड़कियां या पुरुष/लड़के।

(5) जलापूर्ति :

- जलापूर्ति की स्थिति को दर्ज करें। क्या बिजली लगातार, रोज 24 घंटे आ रही है?अगर बिजली अनियमित है तो क्या बिजली का कोई वैकल्पिक स्रोत भी है?
- क्या पानी के नलों, शौचालय परिसरों और कूड़ेदानों के आसपास पर्याप्त उजाला रहता है?
- बिजली आपूर्ति नियमित न होने से दूसरी सेवाओं पर क्या असर पड़ते हैं? क्या शौचालय

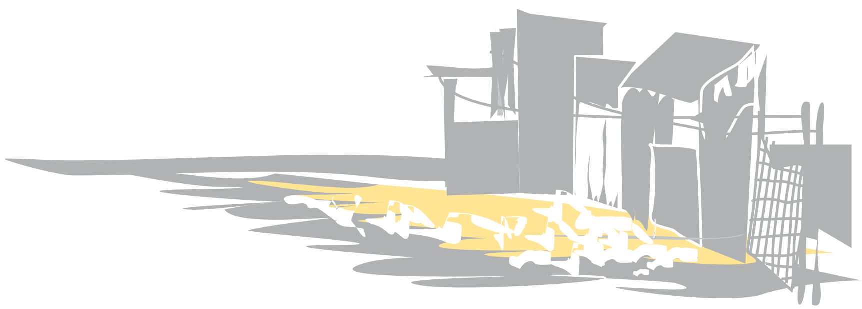

परिसर बंद हो जाते हैं? क्या जलापूर्ति टूट जाती है? यदि हां तो ऐसे में निवासी क्या करते हैं? ऐसे अवसरों पर महिलाएं/लड़कियां क्या करती हैं?

- अगर बिजली की आपूर्ति टूट जाती है तो पानी के वैकल्पिक स्रोत क्या होते हैं?वैकल्पिक स्रोतों से पानी कौन लाता है – महिलाएं/लड़कियां या पुरुष/लड़के।

(3) आरएसए को पूरा करने के लिए अनुमानित समय

आरएसए के विभिन्न कदमों को पूरा करने के लिए जरूरी समय इस बात पर निर्भर करता है कि समुदाय कितना बड़ा है और टीम के/की सदस्यों की संख्या कितनी है। हम ये नहीं कह सकते कि आरएसए को पूरा करने के लिए कितना समय काफी माना जा सकता है क्योंकि हर समुदाय की अपनी खासियतें होती हैं और हर जगह ब्यौरे, अध्ययन की परिधि और इलाके का आकार वहां के हालात के हिसाब से ही तय करना पड़ता है।

(4) महिला सुरक्षा ऑडिट (महिला) द्वारा द्रुत परिस्थितिगत विश्लेषण (आरएसए)

डब्ल्यूएसए के संचालन में आरएसए के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

- समुदाय में सेवाओं की स्थिति से परिचित होना डब्ल्यूएसए के संचालन का महत्वपूर्ण पहला कदम होता है। बुनियादी सेवाओं पर काम करना टीम की कई सदस्याओं के लिए नया अनुभव हो सकता है और आरएसए से उन्हें सेवाओं में जेंडर आधारित फासले के इर्द–गिर्द इन मुद्दों को समझने का मौका मिलता है।

सेवाओं के इस्तेमाल में इन जेंडर आधारित फासलों को जानने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं : क्या पुरुषों के शौचालयों की संख्या महिलाओं के शौचालयों की संख्या से ज्यादा है? क्या महिलाओं की खास जरूरतों को ध्यान में रखा गया है? क्या महिलाओं के शौचालय परिसरों में मासिक चक्र के कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान रखे गए हैं?क्या शौचालय परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है?

- बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता में जेंडर आधारित असमानता का पता लगाने के लिए आरएसए पहला कदम होता है। इसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं : क्या इन सेवाओं की बनावट और उपलब्धता में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखा गया है?यदि हां तो कैसे?यदि नहीं तो उनके लिए क्या किया जा सकता है?

- इन जेंडर आधारित फासलों का नक्शा तैयार करने के बाद टीम को अपने शहर और खासतौर से गरीब बस्तियों के संदर्भ में शहरी नियोजन प्रक्रियाओं, नीतियों और कानूनी प्रावधानों के बारे में पता लगाना चाहिए।

दूसरा कदम :
मुख्य सूचना प्रदाताओं से साक्षात्कार : सेवा प्रदाताओं का दृष्टिकोण

बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता और रख–रखाव से संबंधित बहुत सारे लोगों को मुख्य सूचना दाता माना जा सकता है। उनमें स्थानीय सेवा प्रदाता, डाक्टर, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्थानीय निर्वाचित नेता और अन्य अनौपचारिक नेता हो सकते हैं। शुरुआती चरण में स्थानीय सेवा प्रदाता और समुदाय के मुखियाओं से संपर्क बनाना मुश्किल हो सकता है। अपनी परियोजना में हमने उनसे संपर्क बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जिनमें हमें कामयाबी मिली और वे समुदाय के लोगों के साथ चर्चा के लिए तैयार हुए।

(1) साक्षात्कारों का उद्देश्य

साक्षात्कार से टीम को सेवा प्रदाताओं तथा नेताओं के साथ संबंध स्थापित करने और उन्हें डब्ल्यूएसए की अवधारणा से अवगत कराने का मौका मिलता है। इन साक्षात्कारों से महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के बारे में सेवा प्रदाताओं और नेताओं की राय का भी अंदाजा मिलता है। टीम को यह भी पता चल जाता है कि समुदाय में सेवा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। स्थानीय डाक्टरों के साथ बातचीत से ये पता चलता है कि अपर्याप्त सेवाओं के फलस्वरूप कौन–कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जैसे, गंदे पानी की वजह से फैल रही बीमारियां या गंदे शौचालयों के कारण मूत्र मार्ग में होने वाले संक्रमण आदि।

(2) साक्षात्कार के अलग–अलग चरण

(1) स्थानीय जल एवं विद्युत आपूर्ति, शौचालयों के रख–रखाव, कचरा निस्तारण और नालियों की देखभाल करने वालों सहित समुदाय से संबंधित मुख्य सेवा प्रदाताओं का पता लगाएं।

(2) स्थानीय नेताओं का पता लगाएं। इनमें निर्वाचित, अनौपचारिक या ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं जो समुदाय में एक प्रभाव रखते हैं और समुदाय के लोग उनकी बात सुनते हैं।

"हमें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कुछ इलाकों में हर सड़क का एक मुखिया है... छोटे-बड़े नेता इतने सारे थे कि उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था।" एक टीम सदस्या, बवाना।

(3) साक्षात्कारों में सेवाओं की स्थिति, समुदाय द्वारा उठाई गई शिकायतें – जैसे महिलाओं व लड़कियों की समस्याओं, खासतौर से सुरक्षा संबंधी समस्याओं – और इन शिकायतों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं।

(4) आप नेताओं को इस बात की जानकारी दे सकती हैं कि आपका समूह किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहा है और डब्ल्यूएसए की क्या जरूरत है। उनको इस बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए कि सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्रा के दौरान जो समस्याप्रद मुद्दे सामने आएंगे उनको हल करने के लिए समुदाय के लोग बाद में उनसे आकर बात करेंगे।

(5) स्थानीय डाक्टरों का पता लगाएं और उनसे बात करें। देशी चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करने वाले डाक्टरों से भी बात करें। डाक्टरों से पूछें कि अपर्याप्त जल एवं स्वच्छता सेवाओं के कारण समुदाय में महिलाओं को किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(3) साक्षात्कारों को पूरा करने के लिए अनुमानित समय

साक्षात्कार पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ आपके समूह और संगठन के संबंध कैसे हैं और आपको कितने सेवा प्रदाताओं या स्थानीय नेताओं से बात करनी है। सभी सेवाओं से संबंधित प्रदाताओं के साथ बात करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर ऐसे साक्षात्कार आधे घंटे से एक घंटे के बीच निपट जाते हैं। इसके बाद साक्षात्कारों को लिख लेना चाहिए और उनका दूसरे साथियों के साथ आदान–प्रदान करना चाहिए।

(4) महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) में मुख्य सूचना प्रदाताओं से साक्षात्कार

मुख्य सूचना प्रदाताओं के साथ साक्षात्कारों से टीम को उनकी मुख्य जिम्मेदारियों को समझने में मदद मिलती है। इससे वे उन लोगों के सामने आ रही परेशानियों या रुकावटों को भी आसानी से समझ सकती हैं। साक्षात्कारों से इस बात का आंदाजा लग जाता है कि समुदाय के लोग किस हद तक अपनी समस्याएं लेकर सेवा प्रदाताओं के पास जाते हैं और उनकी समस्याओं पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं; या उनको हल करने के लिए कोई कोशिश की भी गई है या नहीं। सेवा प्रदाताओं और नेताओं द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, जैसे समुदाय के सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतें, खासतौर से महिलाओं और लड़कियों की शिकायतों की विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाओं (थ्वबनेमक ळतवनच क्पेबनेपवद) में और अच्छी तरह पड़ताल की जा सकती है। अंत में, सहभागियों के बीच बातचीत से टीम को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्रा के लिए किन नेताओं को साथ लिया जा सकता है और डब्ल्यूएसए के दौरान मिली समस्याओं को हल करने के दौरान किन लोगों से मदद ली जा सकती है।

तीसरा कदमः विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (एफजीडी): सेवाओं, सेवा अभावों और उनके नतीजों के बारे में जानकारियां लेना

सेवाओं की स्थिति, महिलाओं और पुरुषों के लिए उपलब्ध सेवाओं में फर्क और चर्चा योग्य मुद्दों के बारे में जान लेने के बाद डब्ल्यूसीए टीम अगले चरण की ओर बढ़ सकती है। इस चरण में विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (एफजीडी) आयोजित की जाती हैं। अब तक हुए कामों के आधार पर डब्ल्यूसीए टीम अपने अनुभवों के सहारे बुनियादी सेवाओं के विभिन्न आयामों के बारे में और गहरी समझ हासिल कर सकती है। खासतौर से ये जानने की कोशिश की जा सकती है कि सेवाओं की उपलब्धता में जेंडर आधारित फासलों से महिलाओं और लड़कियों, खासतौर से उनकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ते हैं। साक्षात्कारों के जरिए सेवा प्रदाताओं की समझ से अवगत हो जाने का फायदा विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाओं में सामने आता है।

विषय केंद्रित समूह सामूहिक चर्चा एक ऐसी बातचीत/ चर्चा होती है जिसको किसी खास मुद्दे की बेहतर समझ हासिल करने और समस्या के संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए सुनियोजित ढंग से संचालित किया जाता है। इसमें अनुभवों का आदान-प्रदान, राय व्यक्त करना और संभावित समाधानों की पड़ताल करना भी शामिल होता है।[11]

अपने सवालों को जांचने और पुख्ता करने के लिए एक एफजीडी आयोजित करें। एफजीडी चर्चाओं से कई ऐसे मुद्दों का भी पता लगाया जा सकता है जो संभवतः नजरअंदाज हो गए थे। आरएसए के आधार पर टीम ऐसे संवेदनशील समूहों का भी पता लगा सकती है जिनकी सोच या स्थिति पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है और उनके साथ भी एक एफजीडी करना जरूरी है। इससे ये फायदा होता है कि अगर कोई समाधान सुझाया जा रहा है तो उसमें समुदाय के सभी लोगों के हितों पर ध्यान दिया गया हो।

11 जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेन सेफ्टी, टुवर्ड्स ए जेंडर इन्क्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10

अगर आप चर्चाओं की ऑडियो या विडियो रिकार्डिंग करना चाहते हैं तो समूह से पहले से इजाजत जरूर ले लें।

(1) एफजीडी के उद्देश्य

विषय केंद्रित सामूहिक चर्चा का मकसद समुदाय में सेवाओं तक पहुंच की दृष्टि से महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं को और अच्छी तरह समझना होता है। इसके लिए आप लड़कियों के साथ अलग से भी चर्चा कर सकते हैं (वयस्क महिलाओं की अनुपस्थिति में) ताकि वे अपने अनुभवों को ज्यादा खुलकर बता सकें। पुरुषों और लड़कों के साथ भी एफजीडी किए जाने चाहिए। इससे महिलाओं और लड़कियों की सुविधा के बारे में उनकी समझ को जानने में मदद मिलती है।

इन चर्चाओं से टीम को सुरक्षा संबंधी मुद्दों के अलावा स्थानीय शासन और विभिन्न सेवाओं के लिए उत्तरदायी निकायों के बारे में समुदाय के लोगों की समझ और राय जानने का अच्छा मौका मिलता है। स्थानीय शासन की स्थिति और समझ से टीम को बाद में काफी फायदा मिलता है क्योंकि इस आधार पर स्थानीय निवासियों के क्षमतावर्धन के विषय तय किए जा सकते हैं।

(2) एफजीडी के विभिन्न कदम

(1) विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाओं में अलग–अलग तरह के लोगों को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि समुदाय के विभिन्न इलाकों और सदस्यों को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। बेहतर यही रहता है कि किसी भी समूह में 10–12 से ज्यादा सहभागी न हों ताकि हर व्यक्ति चर्चा में अच्छी तरह हिस्सा ले सके।

(2) चर्चा से पहले फेसिलिटेटर्स/सूत्रधारों और सहभागियों को संक्षेप में अपना–अपना परिचय देना चाहिए। फेसिलिटेटर्स को इस गतिविधि की पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि सामूहिक चर्चा का मकसद विभिन्न प्रकार के अनुभवों को इकट्ठा करना, अलग–अलग तरह के लोगों की राय जानना और महिलाओं की समस्याओं तथा उनको असुरक्षा का अहसास देने वाली चीजों का पता लगाना है। इस कवायद का कुल मकसद यही है कि किसी सहमति या नतीजे पर पहुंचने की बजाय हरेक की राय सुनी जाए।

(3) प्रत्येक सहभागी को चर्चा में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। फेसिलिटेटर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे न तो किसी पर अपनी राय थोपें और न ही ऐसे सवाल पूछें जिनके खास तरह के जवाब आने वाले हैं। न ही उन्हें किसी

की टिप्पणियों या राय पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

(4) चर्चा को दर्ज करने और नोट्स लिखने के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मा सौंपा जा सकता है।

(5) हमारी राय में फेसिलिटेटर चर्चा को इस तरह आगे बढ़ाएं कि उसमें शौचालय, पानी, स्वच्छता, नालियों, कचरा निस्तारण और बिजली जैसी सेवाओं पर चर्चा की जा सके और इन सेवाओं का लाभ उठाने के दौरान पेश आने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं के साथ–साथ सहभागियों की विभिन्न समस्याओं का पता लगाया जा सके। ऐसी घटनाओं का पता लगाएं जब महिलाओं और लड़कियों को हिंसा का सामना करना पड़ा हो। इस हिंसा से उन पर क्या असर पड़े हैं? इस तरह की हिंसा से निपटने के लिए उन्होंने क्या रास्ते अपनाए?

(6) पुरुषों और लड़कों के साथ चर्चा करते हुए इस बात पर ध्यान दें कि वे महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं, खासतौर से उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं। उनसे पूछें कि क्या उन्होंने भी कभी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता महसूस की है।

(7) प्रत्येक समूह से स्थानीय शासन तंत्र और प्रत्येक सेवा से संबंधित एजेंसी के बारे में राय जानने का प्रयास करें। ये भी पता लगाएं कि क्या उन्होंने कभी अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज कराई है या नहीं। यदि शिकायत दर्ज कराई गई है तो उनकी शिकायतों से क्या नतीजा निकला?

(3) एफजीडी पूरा करने के लिए अनुमानित समय

आरएसए की तरह इस चर्चा को पूरा करने के लिए जरूरी समय भी समुदाय के आकार और टीम सदस्याओं की संख्या पर निर्भर करता है। एफजीडी की अवधि इस बात पर भी निर्भर करती है कि समुदाय के लोग कितना समय देना चाहते हैं। एक एफजीडी सत्र में विभिन्न मुद्दों को कवर करने के लिए प्रायः एक से डेढ घंटे का समय काफी रहता है।

(4) महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) में विषय केंद्रित सामूहिक चर्चाएं (एफजीडी)

- एफजीडी के विश्लेषण से सेवाओं की स्थिति में महिलाओं और पुरुषों के बीच फर्क, समुदाय में महिलाओं और लड़कियों के सामने पेश आने वाली सुरक्षा संबंधी समस्याओं और इन समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं द्वारा अपनाए गए तरीकों का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर, हमारे अनुभवों में एफजीडी सत्रों से हमें महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं को समझने में काफी मदद मिली। मसलन, पानी के लिए कतार में कितनी देर लगना पड़ता है, पानी के लिए ज्यादा देर इंतजार करने से लड़कियां देर से स्कूल पहुंच पाती हैं और शौचालय के बाहर इंतजार करते हुए उन्हें यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- एफजीडी सत्रों से महिलाओं और लड़कियों की समस्याओं के बारे में पुरुषों और लड़कों की सोच का भी पता चलता है। इन सत्रों से यह भी पता चलता है कि उनकी राय में महिलाओं और लड़कियों को इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए। इससे ये भी साफ हो जाता है कि पुरुषों और लड़कों के लिए भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं या नहीं।
- एफजीडी सत्रों से ऐसे मुद्दों का पता लगाने में मदद मिलती है जिन पर और विस्तार से काम करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई महिला या लड़की हिंसा के अपने निजी अनुभव बताती है तो उसके साथ ज्यादा सुरक्षित और निजी माहौल में विस्तार से बात की जा सकती है ताकि वह सहज ढंग से अपनी बात कह सके।
- एफजीडी सत्रों से ऐसे क्षेत्रों को पहचानने में भी मदद मिलती है जहां महिलाएं और लड़कियां अलग–अलग तरह की हिंसा का सामना करती हैं। इन स्थानों को भी सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्रा के रास्ते में शामिल किया जा सकता है। पैदल यात्रा के नतीजों के आधार पर इन इलाकों के बारे में स्थानीय शासन के साथ चर्चा की जा सकती है ताकि महिलाआं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जरूरी बदलाव लाए जा सकें।

चौथा कदम : गहन साक्षात्कार : हाशियाकरण और पहुंच की परिधि

ये गहन साक्षात्कार पूरी तरह योजनाबद्ध नहीं होते। इस तरह के साक्षात्कारों से सेवाओं तक 'पहुंच' के गति विज्ञान को समझने में काफी मदद मिलती है। इस चर्चा के लिए जो नमूना या लोग चुने जाएं उनमें समुदाय की पूरी विविधता का समावेश होना चाहिए। इस तरह के साक्षात्कारों की संख्या समुदाय के आकार और समुदाय की भीतरी विविधता के आधार पर तय की जा सकती है। मिसाल के तौर पर, बवाना में हमने ऐसे 15 साक्षात्कार किए क्योंकि वहां समुदाय काफी बड़ा है जबकि भलस्वा का समुदाय छोटा है इसलिए हमने वहां 10 साक्षात्कार किए। इन साक्षात्कारों में महिलाओं और लड़कियों के विभिन्न समूहों को शामिल करने के भी प्रयास किए गए। इस तरह का साक्षात्कार लेने से पहले टीम को साक्षात्कार के बारे में इजाजत ले लेनी चाहिए और आप जिस महिला/लड़की से बात कर रहे हैं उसको बता देना चाहिए कि इस जानकारी का किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा।

(1) गहन साक्षात्कारों का उद्देश्य

इस तरह के साक्षात्कारों का मकसद पहुंच से संबंधित आयामों को समझना होता है। मसलन, समुदाय में विभिन्न महिलाएं/लड़कियां पानी और साफ–सफाई सुविधाओं तक पहुंच के लिए किस तरह प्रायस करती हैं और उनके सामने क्या मुश्किलें आ रही हैं और किन विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है/आजमाया जा रहा है।

(2) गहन साक्षात्कारों के चरण

(1) सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि आपको कितनी महिलाओं से बात करनी है। इस बात का खयाल रखें कि आप जिन महिलाओं को चुन रहे हैं उनके जरिए समुदाय की पूरी विविधता साक्षात्कार में आ सके। इसके लिए आपको उम्र, वैवाहिक स्थिति, भौगोलिक स्थान, धर्म, नस्ल, जाति, विकलांगता, गर्भवती/दुग्धपान कराती माताओं, एकल आदि सभी तरह की महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए। एफजीडी सत्रों के फॉलोअप के रूप में ऐसी एक या दो महिलाओं/लड़कियों के साथ भी साक्षात्कार किए जाने चाहिए जिन्होंने सेवाओं तक पहुंच की प्रक्रिया में हिंसा का सामना किया है।

(2) हमारा सुझाव है कि टीम को परिचय और अनुमति के उन्हीं चरणों का पालन करना चाहिए जो एफजीडी सत्रों में अपनाए गए थे। नोट्स बनाते हुए सारे उस व्यक्ति के जीवन के अन्य अनुभवों को भी दर्ज करते रहें।

(3) चर्चा को इस तरह आगे बढ़ाएं कि उसमें बुनियादी सेवाओं तक पहुंच, खासतौर से बिजली गुल हो जाने की स्थिति में सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की जा सके। अगर आप चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं कि किन खास मौकों पर उन्हें सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस होता है?खुले स्थानों पर शौच के लिए जाने के समय सुरक्षा के कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्या वे हमेशा किसी को साथ लेकर जाती हैं?क्या बहुत दबाव लगने पर उन्हें किसी का इंतजार करना पड़ता है?

(4) ये भी पूछें कि जब वे बुनियादी सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं या उनका लाभ उठाने का प्रयास करती हैं तो क्या उनके धर्म, जाति, उम्र, इलाके, क्षेत्रीय विविधताओं और दूसरी बातों से कोई फर्क पड़ता है।

(5) समुदाय के किसी खास समूह के प्रति सेवा प्रदाताओं का रवैया (पक्षपात या दुर्व्यवहार) कैसा है। आप जिनसे बात कर रहे हैं उन्हें सत्ता और वर्चस्व के मुद्दों के बारे में क्या लगता है और वे किस तरह प्रक्रिया देती है? क्या वे चाहती हैं कि इन सेवाओं में महिला अटेंडेंट/मरम्मत कर्मी होने से वे इन सेवाओं का ज्यादा बेहतर ढंग से लाभ उठा सकती हैं? क्या महिलाओं/लड़कियों को लगता है कि उनकी जेंडर पहचान के कारण उनके साथ पुरुषों और लड़कों के मुकाबले कमतर व्यवहार किया जाता है?क्या उम्र से भी फर्क पड़ता है, यानी क्या बूढ़ी औरतों के मुकाबले युवा महिलाओं और लड़कियों को फायदा या नुकसान मिलता है?

(6) विभिन्न सेवाओं का उपयोग करते हुए निवासियों के बीच किन मुद्दों पर झगड़े होते हैं? अगर झगड़े का समाधान निकलता है तो किस तरह?महिलाएं झगड़ों में क्या रवैया अपनाती हैं?उनकी मौजूदा शिकायतें और परेशानियां क्या हैं?

(7) दिन में अलग–अलग मौकों पर बुनियादी सेवाओं का उपयोग करते हुए महिलाओं को किन अलग–अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है (सुबह–सवेरे, दोपहर को, शाम और रात में)?

(8) इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उन्हें अलग–अलग मौसमों (गर्मी, जाड़े, बरसात) में कौन सी अलग–अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

(9) बुनियादी सेवाओं के इस्तेमाल के रुझान को जानने के लिए पता लगाएं कि घरों में निजी शौचालय हैं या नहीं। क्या परिवारों ने शौचालय बनवाने के लिए कर्जे लिए हैं?कया इस तरह के मकानों के किराए ज्यादा हैं?इन शौचालयों में पानी का कनेक्शन कैसा है? वे सेफ्टी टैंक को किस तरह साफ करते हैं?कितना खर्चा आता है? जिन लोगों के घर में निजी शौचालय हैं उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति कैसी है?क्या उन्हें शौचालय बनवाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है?

(10) अलग–अलग सेवाओं का इस्तेमाल करने के समय हिंसा/उत्पीड़न की आशंका से गुजरने वाली महिलाओं/लड़कियों की स्थिति। पता लगाएं कि क्या उन्होंने इस तरह की घटना के बारे में पुलिस या किसी अन्य विभाग को बताया है? यदि हां तो उनकी सूचना के आधार पर क्या कार्रवाई की गई?

(11) अधूरी या अनुपयुक्त सेवाओं के कारण स्वास्थ्य के लिए पैदा होने वाली समस्याओं पर चर्चा करें। क्या महिलाएं पानी से फैलने वाले संकृमणों, त्वचा व मूत्र मार्ग संक्रमणों आदि के बारे में कुछ बताती हैं?कोई और बीमारी?

(12) जब महिलाएं और लड़कियां दूर के स्थानों से पानी लेकर आती हैं तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उनको पानी के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है?क्या सार्वजनिक वाहनों में दूसरे यात्री उन पर किसी तरह की आपत्ति उठाते हैं? इस मुद्दे की पूरी व्यापकता को समझना बहुत जरूरी है। कितना पानी लाया जा रहा है? भले ही यह जानकारी सिर्फ व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित हो।

(13) इस बात की पड़ताल जरूर करें कि विशेष आवश्यकताओं वाली एकल महिलाओं/गर्भवती महिलाओं/बूढ़ी महिलाओं और लड़कियों को साफ–सफाई सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए और समुदाय में स्थित विभिन्न जल स्रोतों से पानी लेते हुए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या समुदाय के लोग/केयरटेकर इन महिलाओं को कोई विशेष सुविधा/सेवा/आर्थिक छूट देते हैं।

(14) ऐसी महिलाओं के साथ फॉलोअप करें जिनका कहना है कि उन्होंने सेवाओं की स्थिति के बारे में किसी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत की स्थिति और किसके पास शिकायत दर्ज कराई थी, इसका पता लगाएं। उन्होंने किस तरह शिकायत दर्ज कराई थी? उनकी शिकायतों पर कोई सामुदायिक कार्रवाई हुई थी तो उसका भी पता लगाएं।

(3) प्रत्येक साक्षात्कार पूरा करने के लिए अनुमानित समय

ऐसा हरेक साक्षात्कार एक–डेढ़ घंटे का हो सकता है। दस्तावेजीकरण के लिए साक्षात्कार को लिख लेना अच्छा रहेगा।

(4) महिला सुरक्षा ऑडिट में साक्षात्कार

इन साक्षात्कारों से विभिन्न प्रकार के अनुभवों की विविधता को सामने लाने और सुरक्षा पैदल यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को पहचानने में मदद मिलती है। इन साक्षात्कारों से हाशियाई महिलाओं और लड़कियों की खास समस्याओं को समझने में काफी मदद मिलती है। बूढ़ी महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, विकलांग महिलाओं और लड़कियों को भी सुरक्षा पैदल यात्रा में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी नजर से भी विभिन्न सेवाओं की खामियों को पहचाना जा सके।

IV. महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए)

तैयारी चरणों के बाद महिला सुरक्षा ऑडिट शुरू होता है। पैदल यात्रा डब्ल्यूएसए का सबसे बुनियादी हिस्सा है। अभी तक की सारी तैयारियां इस बात के लिए थीं कि बुनियादी सेवाओं में जेंडर आधारित फासलों का पता लगे, टीम को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और उनके परिणामों को समझने में मदद मिले। जैसा कि पीछे जिक्र किया जा चुका है, डब्ल्यूएसए के दौरान महिलाओं की एक टोली एक खास इलाके में पैदल यात्रा करते हुए इस बात का पता लगाती है कि वहां कौन सी चीजें उनको असुरक्षा का अहसास दे रही हैं।

महिला सुरक्षा ऑडिट (डब्ल्यूएसए) एक सहभागी साधन है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के बोध से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करने और उनका आकलन करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को एक इलाके में से गुजरते हुए इस बात का मूल्यांकन करने में मदद देती है कि वहां कितना सुरक्षित महसूस होता है और उस जगह को किस तरह और सुरक्षित बनाया जा सकता है।[12]

अगर समुदाय बहुत बड़ा है तो अलग–अलग इलाकों में दो या तीन ऑडिट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, हमने बवाना में तीन और भलस्वा में दो पैदल यात्राएं की थीं। कायदे से यह यात्रा शाम को अंधेरा ढलने के बाद होनी चाहिए लेकिन अगर एक से ज्यादा यात्राओं की योजना बनाई गई है तो अलग–अलग समय पर महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति को जानने के लिए दिन के अलग–अलग अवसरों पर भी ये यात्राएं की जा सकती हैं।

(1) महिला सुरक्षा ऑडिट के उद्देश्य

बुनियादी ढांचे और उनकी बनावट के अलावा सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्राओं में ये भी जाना जा सकता है कि जब महिलाएं/लड़कियां बुनियादी सेवाओं का इस्तेमाल करती है तो उन्हें उत्पीड़न के कौन–कौन से सूक्ष्म रूपों से जूझना पड़ता है। जब सुरक्षा ऑडिट में पुरुषों और लड़कों को भी पैदल यात्रा में शामिल किया जाता है तो इससे महिलाओं के विरुद्ध होने वाली

12 जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेन सेफ्टी, टुवर्ड्स ए जेंडर इन्क्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10

हिंसा के बारे में फैली चुप्पी को तोड़ना और ऐसी महिलाओं व लड़कियों को अपने साथ जोड़ना आसान हो जाता है जो महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा के मुद्दे पर स्थानीय महिला समूहों के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं रही हैं। इसके अलावा, सुरक्षा ऑडिट से बुनियादी सेवाओं से जुड़े मुद्दों और महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय शासन के साथ बातचीत की प्रक्रिया को भी बल मिलता है।

(2) सुरक्षा ऑडिट पैदल यात्रा के कदम

क. प्रारंभिक चरण

(1) एक डब्ल्यूएसए समूह में प्राय 7–8 सदस्यों को रखा जाना चाहिए। इसमें महिलाओं, लड़कियों, पुरुषों और लड़कों तथा इलाके के निवासी/प्रयोक्ताओं को शामिल करें।

(2) उन्हें डब्ल्यूएसए का संक्षिप्त प्रशिक्षण दें। उनको चुने गए इलाके में पैदल चलते हुए ऐसे मुद्दों की शिनाख्त करनी होती है जिनकी वजह से वह स्थान महिलाओं और लड़कियों के लिए बुनियादी सेवाओं की दृष्टि से असुरक्षित हो जाता है।

(3) औसतन उन्हें इस पैदल यात्रा के लिए लगभग दो घंटे देने होंगे।

(4) ऐसी दो सदस्याओं को चिन्हित करें जो प्रेक्षण को दर्ज करती जाएंगी। एक व्यक्ति को फोटोग्राफ लेने और समूह की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपे। नोट्स लिखने के लिए कागज और पैन लेकर चलें। आप एक चैकलिस्ट भी लेकर चल सकते हैं।[13]

(5) पैदल यात्रा का रास्ता समुदाय की महिलाओं के साथ मिलकर तय किया जाना चाहिए ताकि ऐसे इलाकों में भी जाया जा सके जिनको महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित मानती हैं। ऐसे इलाकों को भी अपने रास्ते में शामिल करें जहां यौन उत्पीड़न की घटनाएं घट चुकी हैं, जहां महिलाएं जाने से कतराती हैं और अन्य ऐसे क्षेत्र जिनको महिलाएं जोखिम भरा या खतरनाक मानती हैं। आप जिस रास्ते से गुजरने वाली हैं उस रास्ते का एक मोटा–मोटी नक्शा बना लें और सारे मुद्दों व रास्ते के बारे में पूरे समूह को बता दें। जो पढ़–लिख नहीं सकते उनको समझाने के लिए अलग–अलग मुद्दों को दर्शाने के वास्ते प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और उनको सीधे नक्शे पर दिखाया जा सकता है।

---

13 नमूना चेकलिस्ट के लिए पृष्ठ 40 देखें।

(6) अगर भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा है तो समूह को दो या तीन छोटे समूहों में भी बांटा जा सकता है।

(7) हालांकि सुरक्षा ऑडिट अंधेरा ढलने के बाद शाम को किए जाते हैं लेकिन ऐसे कुछ ऑडिट्स दिन में भी होने चाहिए क्योंकि दिन में भी बुनियादी सेवाओं के संबंध में सुरक्षा का बोध हर समय एक जैसा नहीं होता। इन भिन्नताओं का पता लगाने के लिए सुबह को या स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से दोपहर को भी एक यात्रा की जा सकती है। दूसरा ऑडिट देर शाम को किया जा सकता है।

(8) शाम के ऑडिट के लिए अंधेरा ढलने से ठीक पहले यात्रा पर निकलना सबसे अच्छा रहता है। ऑडिट टीम अंधेरा होने से पहले जाते हुए और अंधेरा होने के बाद लौटते हुए उस जगह का ज्यादा अच्छी तरह जायजा ले सकती है। ऐसे में ये पता लगाया जा सकता है कि वहां स्ट्रीट लाइट्स हैं या नहीं और अंधेरा ढलने से पहले या बाद में महिलाएं उस जगह का कितना इस्तेमाल करती हैं।

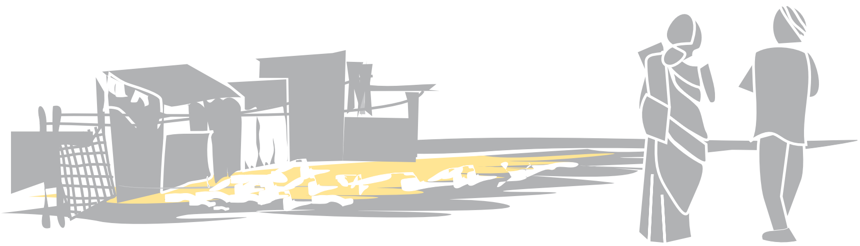

(9) अगर कोई सरकारी अधिकारी और/या प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल हों तो सुरक्षा ऑडिट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये अधिकारी बुनियादी सेवाओं से संबंधित विभिन्न विभागों से आमंत्रित किए जा सकते हैं। अगर ये अधिकारी प्रभावशाली पदों पर हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि तब वे चिन्हित समस्याओं पर सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। इस यात्रा में बिजली विभाग के अधिकारियों को भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

महिला सुरक्षा ऑडिट के लिए नमूना चैकलिस्ट

इलाके का नाम :

तारीख :

ऑडिट मार्ग :

ऑडिट का समय और दिन :

मौसम :

अवधि :

सहभागी व्यक्तियों के नाम :

सड़कें	टिप्पणियां व नतीजे
लाइटिंग – क्या स्ट्रीट लाइट काम कर रही है?क्या स्ट्रीट लाइट नियमित फासले पर हैं?क्या उनसे सड़क पर उजाला हो रहा है? नक्शे पर उन लाइटों को चिन्हित करें जो बंद पड़ी हैं। इन लाइटों की मरम्मत में कितना समय लगता है?	
सड़कों की स्थिति – क्या सड़कों पर फुटपाथ ठीक–ठाक हैं?क्या फुटपाथ टूटी हुई हैं?क्या उन पर तेजी से और आसानी से चला जा सकता है? क्या सड़कें विकलांगों के इस्तेमाल के लायक हैं?क्या बैसाखियों या व्हील चेयर पर चलने वाली कोई महिला आसानी से सड़क पर चल सकती है?	
छुपने की जगह और खाली पड़ी जमीन – क्या वहां कोई दरवाजा, गलियारा, ढहा दी गई या अधूरी इमारत है जो महिलाओं के लिए असुरक्षित है? खाली/अप्रयुक्त जमीन की क्या स्थिति है?क्या वहां झाड़–झंखाड या घास उग आई है?	
स्थान का सामाजिक इस्तेमाल – क्या सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं?क्या महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा दिखाई दे रहे हैं?वे क्या कर रहे हैं?क्या मुख्य सड़कों पर कोई बाजार/दुकानें आदि हैं? सिगरेट और शराब की दुकानें कहां हैं?	
औपचारिक चौकसी – क्या वहां पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं?	
अनौपचारिक चौकसी – क्या आसपास की इमारतें अनौपचारिक निगरानी में मददगार हैं (दुकानें या खाने–पीने के ठिकाने, बालकनी वाले घर आदि)?	

महिला सुरक्षा ऑडिट के लिए नमूना पैकेज

नीचे दिए गए ब्यौरे "सड़कों" के सुरक्षा ऑडिट के बारे में हैं। शौचालयों, पानी के नलकों, नालियों और कूड़ेदानों आदि के बारे में भी इसी तरह अलग विवरण तैयार किए जा सकते हैं।

यह ब्यौरा खासतौर से उन सड़कों के लिए है जिनको महिलाएं और लड़कियां शौचालय, पानी के नलकों, कूड़ेदानों तक जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।

(ख) बुनियादी ढांचे और इलाके को देखना

जब आप समूह में शौचालयों, पानी के नलकों और कूड़ेदानों की तरफ जाती हैं तो सड़कों की हालत, स्ट्रीट लाइट्स, सड़क से जुड़ी गलियों, भीड़ भरे स्थलों आदि पर जरूर ध्यान दें।

(1) **सड़कों ओर रास्तों की हालत देखें** – क्या फुटपाथ अच्छी बनी हुई है? क्या आप उन पर आसानी से चल सकती हैं?क्या उन पर गड्ढे खुदे हुए हैं?आप खुद से पूछें कि क्या मैं इस सड़क पर तेजी से चल सकती हूं?अगर कोई मेरा पीछा करे तो क्या होगा? क्या मैं जरूरत पड़ने पर यहां से भाग कर निकल सकती हूं? मैं किधर जाऊंगी?

(2) **स्ट्रीट लाइट्स बुनियादी ढांचे का एक और महत्वपूर्ण पहलू है** – सड़कों पर लाइटें कैसी हैं?क्या इलाके में अच्छी और सब जगह रोशनी है?क्या कहीं कोई रुकावटें हैं – जैसे झाड़ियां, पेड़, आदि – जिनकी वजह से रोशनी रुक रही है? क्या इलाके की सारी बत्तियां काम कर रही हैं? अगर नहीं तो सहभागियों या आसपास से गुजरते लोगों से पूछें कि ये बत्तियां कब से खराब हैं? क्या ये बत्तियां काफी समय से खराब हैं? क्य इस बारे में कुछ किया गया है? यदि हां तो स्थानीय शासन की क्या प्रतिक्रिया रही है?जब लाइटें खराब हो जाती हैं या जल जाती हैं तो उनकी मरम्मत में कितने दिन लगते हैं?

मैंने तारे अपनी बस्ती की बहुत सारी चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। इस पैदल यात्रा ने मुझे अहसास करा दिया कि बिजली भाग जाने के बाद सड़क से गुजरते हुए कैसा लगता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। "रात में डब्ल्यूएसए के बाद 17 साल के एक लड़के का बयान।

(3) **खाली/अप्रयुक्त जमीन की क्या हालत है?** क्या उनमें लंबी–लंबी झाड़ियां और घास उग आई है? क्या वहां हरित पट्टी/क्षेत्र/खेती की जमीन है?जब आप सड़कों पर या दूसरी गलियों में चलती हैं तो क्या सामने साफ–साफ देख पाती हैं? क्या निर्माणों, झाड़ियों या अन्य पेड़–पौधों की वजह से आप दूर तक नहीं देख पाती हैं?

(4) **क्या इलाके में कोई थाना/चौकी/कांस्टेबल तैनात हैं?** वे कितनी दूर हैं? इलाके में पुलिस कब–कब चक्कर लगाती है?क्या उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है?

(5) **सिगरेट की दुकानों, शराब की दुकानों, सड़क किनारे बनी खाने की दुकानों और अन्य दुकानों की जगह –** क्या ये दुकानें किसी बुनियादी सेवा स्थल के आसपास हैं?क्या महिलाओं और लड़कियों को बुनियादी सेवाओं तक जाने के लिए इन इलाकों से गुजरना पड़ता है?यह इलाका दिन के मुकाबले रात में किस तरह भिन्न होता है? क्या महिलाएं और पुरुष इस जगह का अलग–अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पर, क्या वहां कुछ लोग सिर्फ गुजर रहे हैं, कुछ लोग आसपास मटरगश्ती कर रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग दुकानदारी कर रहे हैं?क्या आपको इस इलाके से अकेले गुजरने पर सुरक्षित महसूस होता है?

(6) **पानी जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित समुदाय केंद्रों या धार्मिक स्थानों की जगह –** क्या वहां बुनियादी सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान है?मिसाल के तौर पर, क्या वहां ऐसे नलके लगे हैं जहां से पानी की किल्लत होने पर लोग पानी भर सकते हैं?

ग. शौचालयों और स्नानघरों को देखें

(1) **अलग–अलग शौचालय परिसरों के लिए प्रेक्षणों को अलग–अलग लिखते जाएं।**

(2) **अटेंडेंट हैं या नहीं –** क्या वहां कोई अटेंडेंट है? पुरुष/महिला अटेंडेंट है?युवा/वृद्ध अटेंडेंट है?क्या एक से ज्यादा अटेंडेंट हैं?क्या अटेंडेंट लगातार मौजूद रहता/रहती है? वह परिसर में कितने समय रहता/रहती है? परिसर का इस्तेमाल करने वालों, पुरुषों/महिलाओं से उसका कैसा बर्ताव रहता है? क्या अटेंडेंट की मौजूदगी से आपको ज्यादा या कम सुरक्षा का अहसास होता है?क्यों?

(3) ––––––––––––––––––––––––

(4) **शौचालय परिसर में रौशनी कैसी है** – क्या परिसर में बिजली की सप्लाई है? लाइटिंग कैसी है?अच्छा उजाला है? धुंधली रोशनी है? अंधेरा है?अगर अच्छी रोशनी नहीं है तो क्या कारण है?

(5) **शौचालय के बाहर के इलाके को देखें** – क्या शौचालय परिसर में जाने वाली सीढ़ियां/जगह अच्छी स्थिति में है? क्या सीढ़ियां या गलियारा टूटा हुआ है? क्या बूढ़ी/गर्भवती/विकलांग महिलाओं को इस जगह का इस्तेमाल करने में परेशानी होगी?क्या कतार में खड़े होने के लिए वहां पर्याप्त जगह है।

(6) **शौचालय और स्नान स्थल को देखें** – क्या दरवाजों पर कुंडियां लगी हैं या टूट चुकी हैं? दरवाजों की हालत कैसी है? क्या उन्हें बंद किया जा सकता है?या वे टूटे हुए हैं? क्या दरवाजे के कुछ हिस्से टूटे हुए हैं जिससे इस्तेमाल करने वालों की प्राइवेसी पर असर पड़ता है?

(7) **क्या महिलाओं को शौचालय का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेसी मिलती है?** अगर नहीं तो उनकी प्राइवेसी का किस तरह और कौन हनन करता है?

(8) **क्या पुरुष/लड़के महिलाओं के शौचालयों में घुस जाते हैं?** कैसे? क्या वे महिलाओं वाले हिस्से में चले जाते हैं?क्या वे खुले स्थानों से झांकते हैं? किन स्थानों से झांकते हैं?क्या वहां ऐसी जगह है जहां कोई छिप सकता है? नहाने और कपड़े धोने के स्थानों पर भी इसी तरह की चीजों पर गौर करें।

घ. शौच के लिए इस्तेमाल होने वाले खुले स्थानों को देखें

(1) खुले स्थानों पर शौच के लिए जाने के रास्तों को देखें। क्या उस रास्ते में उजाला रहता है?क्या वहां पक्का रास्ता बना हुआ है? क्या महिलाओं को इन स्थानों की ओर जाते हुए पान–बीड़ी की दुकान आदि पुरुष प्रभुत्व वाले स्थानों से गुजरना पड़ता है?इलाके में हरियाली की क्या स्थिति है?

(2) महिलाएं/लड़कियां इन स्थानों का कब इस्तेमाल करती हैं? क्या बूढ़ी औरतें ही इन स्थानों का इस्तेमाल करती हैं या सभी आयु वर्गों की महिलाएं इन स्थानों का इस्तेमाल करती हैं?

(3) क्या इलाके में पुरुष भी हैं?क्या वे भी शौच के लिए वहीं जाते हैं?

च. जलापूर्ति क्षेत्रों को देखें

(1) जल स्रोतों को विवरणात्मक नाम/संख्याओं के आधार पर चिन्हित किया जा सकता है। प्रत्येक जल स्रोत के बारे में अलग से नोट्स बनाएं। बिजली के पम्प से चलने वाले जल स्रोतों से संबंधित ब्यौरे सार्वजनिक जल स्रोतों के ब्यौरों से काफी भिन्न हो सकते हैं।

(2) एक व्यापक तस्वीर हासिल करने के लिए इस बात का खयाल रखें कि ऑडिट दिन के अलावा शाम/अंधेरा होने के बाद भी किया जाना चाहिए। दिन के हर समय के बारे में देखें कि जल स्रोतों के आसपास कौन लोग मौजूद रहते हैं?इस बात को दर्ज करें कि वहां पुरुष/महिलाएं, कौन होते हैं, उनकी आयु क्या है, बूढ़ी औरतें/अधेड़ औरतें/लड़कियां आदि।

(3) क्या वहां कतारें हैं?क्या पानी की सप्लाई शुरू होने से पहले ही कतारें लग जाती हैं? इस बात को खासतौर से देखें कि क्या पानी सिर्फ रात में या सुबह उजाला होने से पहले ही आता है?क्या कतार लगाने के लिए काफी जगह है या वहां जगह की तंगी है?क्या लोग उस जगह का दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? अगर हां तो क्या महिलाओं/लड़कियों को किसी तरह का कोई उत्पीड़न झेलना पड़ता है?

(4) क्या पानी भरना एक सामान्य और व्यवस्थित प्रक्रिया है?क्या वहां अकसर झगड़े और तकरार होती है? यदि हां तो किनके बीच होती है?

(5) क्या उस जगह काफी उजाला है?उजाले का स्रोत क्या है? स्ट्रीट लाइट/उस जगह के लिए लगाई गई खास बत्तियां/आसपास के घरों की रोशनी आदि?

(6) क्या वहां जलापूर्ति बिंदु पर कोई अटेंडेंट/सेवा प्रदाता रहते हैं?

(7) ये भी देखें कि क्या लोग धार्मिक इमारतों, समुदाय केंद्रों आदि से भी पानी लेते हैं? जिस तरह शौचालय के रास्ते को देखा था उसी तरह इन इमारतों तक जाने वाले रास्तों को भी देखें।

छ. कचरा निस्तारण इलाकों को देखें

(1) अलग–अलग कचरा निस्तारण स्थानों को विवरणात्मक नाम/संख्याएं देकर चिन्हित करें। हर स्थान के बारे में अपने प्रेक्षण अलग–अलग दर्ज करें। खाली पड़े प्लॉट जैसे निस्तारण स्थलों के बारे में आप जो ब्यौरे दर्ज करेंगे वह सार्वजनिक कचरा निस्तारण ब्यौरों से भिन्न हो सकते हैं।

(2) जहां चारों तरफ कचरा बिखरा रहता है ऐसे कचरा निस्तारण स्थल से बचने के लिए क्या महिलाओं को एकांत रास्तों से गुजरना पड़ता है?

(3) क्या लोग अपने घरों के आसपास ही कचरा फेंक देते हैं?

(4) क्या वहां कचरा निस्तारण के लिए अलग–अलग सड़कों के अनुसार कोई व्यवस्था बनाई गई है?

(5) क्या कचरे के नियमित और समयबद्ध निस्तारण के बारे में जानकारियां देने और स्थिति को देखने के लिए सेवा प्रदाताओं की ओर से कोई लोग वहां आते हैं?

ज. निकासी व्यवस्था

(1) सड़कों पर बड़ी और छोटी नालियों के लिए अलग–अलग निशान लगाएं। क्या बड़ी नालियों के बारे में ऐसी कोई खास बात है जो महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करती है। मसलन, जब वे अपने बच्चों के साथ वहां होती हैं तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है?बच्चे अकसर बड़ी नालियों के आसपास टट्टी पेशाब के लिए जाते हैं।

(2) इलाके के लोगों से पूछें कि नालियों को साफ करने के लिए जो सेवा प्रदाता आते हैं उनके साथ किस तरह की बातचीत होती है। क्या वे लोग इस बारे में कोई जानकारी देते हैं कि अगली बार नालियों की सफाई कब होगी? क्या उनके पास नालियों को साफ करने के लिए साधन होते हैं?क्या वे नालियों की मरम्मत आदि के बारे में घर में रहने वालों, खासतौर से महिलाओं व लड़कियों से भी बात करते हैं?

"एक औरत होने के नाते मैं नालियों को औरतों की सबसे बड़ी समस्या मानती हूं। ये हमारी जिंदगियों को हर तरह से प्रभावित करती हैं...। घर के सामने, सड़क पर चलते हुए और यहां तक कि शौचालय जाते हुए भी हमें इन नालियों से बड़ी परेशानी होती है" रात्रि ऑडिट के दौरान 35–40 साल की एक महिला ने बताया।

(3) देखें कि क्या कोई महिलाएं/लड़कियां अपने घरों के बाहर नालियों को साफ कर रही हैं?उनसे बात करें और पूछें कि क्या उन्हें कोई परेशानी है, खासतौर से मौजूदा हालात को देखते हुए असुक्षा के अहसास की दृष्टि से उनकी क्या समस्याएं हैं।

(4) क्या नालियों का पानी बाहर बह रहा है। अगर हां तो इस समस्या से निपटने के लिए महिलाएं/लड़कियां क्या करती हैं? क्या उन्हें मजबूरन एकांत इलाकों से गुजरना पड़ता है जहां उनके लिए खतरा बढ़ जाता है?

झ. जगह का जेंडर आधारित इस्तेमाल

(1) पीछे उल्लिखित सभी स्थानों पर देखें कि उस जगह का इस्तेमाल करने वालों में पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। इस बारे में नोट बनाएं कि भीतरी और बाहरी सड़कों, बाजारों, पूजा स्थलों पर महिलाएं दिखाई देती हैं या नहीं और अगर दिखाई देती हैं तो कितने बजे तक दिखाई देती हैं।

(2) क्या अलग–अलग समय पर किसी जगह के इस्तेमाल में कोई फर्क या रुझान दिखाई देता है?

(3) ऐसे इलाकों को देखें जहां पुरुष बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं – जैसे सिगरेट और शराब की दुकानें, नुक्कड़ पर खाने की दुकानें या कोई और जगह।

(4) ऐसे कौन से स्थान हैं जहां महिलाएं बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। वे बाजारों में, जनरल स्टोर्स के आसपास, फेरी वाले इलाकों में, पूजा स्थलों और पार्कों आदि में दिखाई दे सकती हैं।

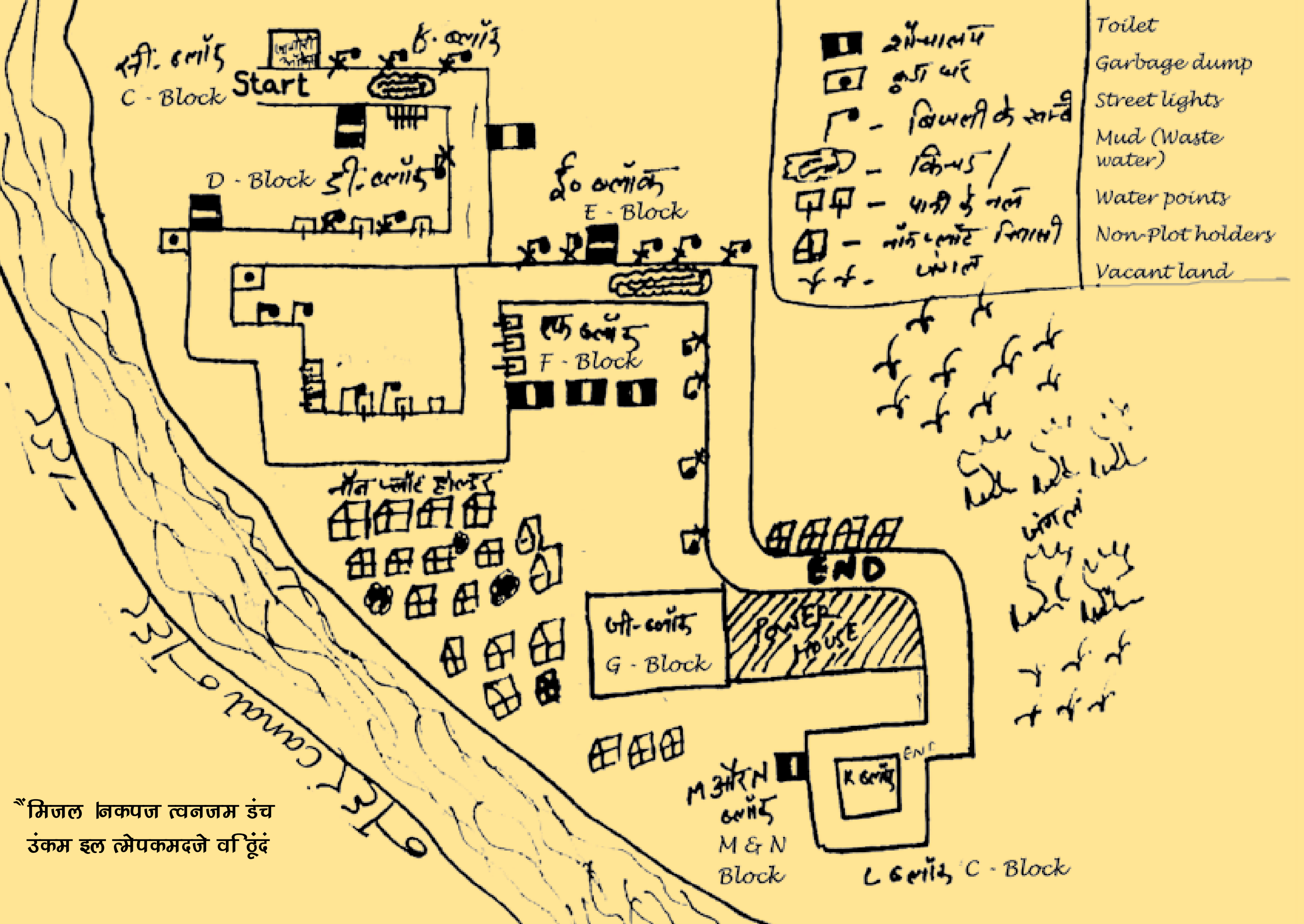

“मिजल ।नकपज त्वनजम डंच
उंकम इल त्मेपकमदजे वf ठूंदं

ट. उस स्थान का इस्तेमाल करने वालों से बात करें

(1) ऑडिट करते हुए उस इलाके में जो औरतें दिखाई देती हैं उनसे बात करें। उनसे पूछें कि उस इलाके में उन्हें महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या लगता है। क्या वे वहां सुरक्षित और सहज महसूस करती हैं?क्या उन्होंने उस इलाके में कभी यौन उत्पीड़न की किसी घटना के बारे में सुना है?क्या वहां कभी उनके साथ भी उत्पीड़न हुआ है?यदि हां तो किस समय?क्या वहां ऐसे स्थान हैं जिनसे वे जान–बूझकर बचने की कोशिश करती हैं?क्या वे दिन के अलग–अलग समय पर अलग–अलग रास्तों से जाने की कोशिश करती हैं?क्या वे अकेले में कुछ खास स्थानों से बचकर चलती हैं?

(2) क्या वे ऐसा कोई सुझाव देना चाहती हैं जिससे वह जगह उन्हें सुरक्षित लगने लगे?उस जगह असुरक्षित महसूस करने की वजह से अपनी राजमर्रा जिंदगी में वे क्या बदलाव लाती हैं?मिसाल के तौर पर, हो सकता है वे किसी को साथ लेकर ही बाहर निकलती हों, या रात में बिल्कुल बाहर न निकलती हों?

(3) उस स्थान का इस्तेमाल करते हुए खुद से भी ये सारे सवाल पूछें।

ठ. डीब्रीफिंग

ऑडिट के फौरन बाद या अगले दिन डीब्रीफिंग सत्र आयोजित करें और पूरे समूह की रायों पर चर्चा करें। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करें जिनको जल्दी संबोधित करना जरूरी है।

डब्ल्यूएसए सिर्फ संबंधित अधिकारियों तक सिफारिशें पहुंचाने से खत्म नहीं होता। इसका एक हिस्सा यह है कि समुदाय की हिस्सेदारी लगातार बनी रहे और इस बात पर लगातार नजर रखी जाए कि किन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई है। इस प्रक्रिया को जीवित रखने और लोगों की दिलचस्पी व हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए समुदाय के निवासियों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ समय–समय पर बैठक करते रहना भी जरूरी होता है।[14]

14 जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेन सेफ्टी, टुवर्ड्स ए जेंडर इन्क्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10:37.

ड. ऑडिट नोट्स लिखना और कार्रवाई के लिए मुद्दे चुनना

(1) जिन इलाकों का ऑडिट किया गया है उनके बारे में नोट्स बनाएं। यह काम हर सड़क या हर ब्लॉक के लिए अलग–अलग किया जा सकता है। बत्तियों, सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के बारे में सभी ब्लॉकों के अलग–अलग ब्यौरे दर्ज करें। इसके लिए चैकलिस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

(2) सहभागियों के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई के लिए मुद्दे तय करें। इन मुद्दों को प्राथमिकता के लिखें और इस बारे में बात करें कि स्थानीय अधिकारियों के साथ इन मुद्दों पर किस तरह बात की जा सकती है।ण

ढ. स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा और साझेदारी

(1) जब नोट तैयार हो जाएं तो मुख्य समस्याओं की पहचान की जा सकती है और उनके बारे में सथानीय अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं से बात की जा सकती है।

(2) स्थानीय अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ हुई चर्चाओं का विस्तृत दस्तावेजीकरण करें।

(3) पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत नोट्स बनाएं – कौन से बदलाव चिन्हित किए गए थे?उनको किस तरह चिन्हित किया गया था? बदलावों के क्या नतीजे रहे हैं?इन बदलावों से क्या सबक निकले हैं?

भलस्वा में इस टीम ने सेवाओं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति पर नजर रखने और नुक्कड़ नाटकों के जरिए इन सवालों पर अभियान चलाने के लिए युवाओं को संगठित किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ भी काम किया है कि वे अपने वादों को पूरा करें।

V. निष्कर्ष और आगे का रास्ता

कसी जगह को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने वाले पहलुओं को पहचानना और उसके बाद स्थानीय शासन पर इस बात के लिए दबाव डालना कि उन स्थानों को सुरक्षित बनाया जाए, ये महिला सुरक्षा ऑडिट के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। डब्ल्यूएसए से समस्याओं को पहचानने और इस आधार पर स्थानीय शासन और सेवा प्रदाताओं तक उचित सिफारिशें पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके बाद लगातार उनके साथ मिलकर काम किया जाता है ताकि सिफारिशों को लागू कराया जा सके। इस प्रक्रिया में स्थानीय महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है।

अपनी कार्यशोध प्रक्रिया में हमने देखा कि समन्वित जेंडर संवेदी बुनियादी ढांचा और सेवाएं विकसित और उपलब्ध कराने में राज्य और सेवा प्रदाताओं तथा अन्य संबंधित पक्षों की विफलता के बारे में लोगों में भारी चिंता है। इस उपेक्षा और भेदभाव को निश्चित रूप से चुनौती दी जानी चाहिए।

महिलाएं नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों का पूरी तरह उपभोग कर सकें इसके लिए एक सुगम वातावरण की आवश्यकता होती है। कार्यशोध के नतीजों के आधार पर हमने समुदाय की कुछ महिलाओं का अधिकारों और समुदाय आधारित अभिशासन के मुद्दों पर क्षमतावर्धन किया है। डब्ल्यूएसए एक ऐसा साधन है जो इस प्रक्रिया का सूत्रपात कर सकता है।

यूएन हैबीटेट ने शहरी अभिशासन को इस प्रकार परिभाषित किया है – "व्यक्ति एवं सार्वजनिक व निजी संस्थान जिन नाना पद्धतियों से शहर के आम जनजीवन को नियोजित और प्रबंधित करते हैं उसे शहरी अभिशासन कहा जाता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसके जरिए परस्पर विरोधी या भिन्न हितों को एक-दूसरे के साथ समाहित किया जा सकता है और एक साझा कार्रवाई का रास्ता निकाला जा सकता है। इसमें औपचारिक संस्थानों के साथ-साथ अनौपचारिक साझेदारियां और नागरिकों की सामाजिक सूची भी आती है।"[15]

---

15 http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2232_80907_UGIndex.doc

जेंडर संवेदी सेवाओं व अभिशासन की समझदारी विकसित करने और इस दिशा में अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए कुछ महिलाओं (और युवतियों व पुरुषों) के समूह को तैयार करने के विचार पर समुदाय के साथ चर्चा की गई। बवाना पुनर्वास बस्ती में लगभग 60 महिलाओं का एक समूह इस प्रशिक्षण के लिए आगे आया। प्रशिक्षण मॉड्यूल इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया कि समुदाय की महिलाएं इन सत्रों के लिए कितना समय दे सकती हैं।

क्षमतावर्धन सत्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण शीर्षकों को उठाया गया जिन पर डब्ल्यूएसए सिफारिशों के अनुसार स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ काम किया जाना था। इन शीर्षकों में प्रमुख इस प्रकार थे :

शहरी स्थानीय अभिशासन की संरचना, बुनियादी सेवाओं का वितरण और सार्वजनिक संसाधन, दिल्ली की शहरी नियोजन प्रक्रिया और पुनर्वास बस्तियों का नियोजन। इसमें महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, उनके अधिकारों को लागू करने और स्वास्थ्य व स्वच्छता से जुड़े मुद्दों के बारे में समझदारी विकसित करने पर भी जोर दिया गया।

क्षमतावर्धन कार्यक्रमों के लिए जो पद्धति चुनी गई वह वयस्क शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस प्रशिक्षण की आधारशिला इस तथ्य में थी कि महिला प्रशिक्षुओं एवं युवाओं का समूह अपने–अपने संघर्षों और अनुभवों के साथ एकजुट हुआ है। इस अहसास से समूह को ताकत मिली और मिलकर काम करने तथा साझा सवालों पर एक दूसरे से एकजुटता विकसित करने के रास्ते तलाश लिए गए। लिहाजा, यह प्रशिक्षण ऐसी समन्वित टीम निर्माण प्रक्रियाओं पर आधारित था जिसमें मिल–जुल कर सीखने और सोचने–विचारने की गुंजाइश होती है।

प्रशिक्षण सत्रों की तय विषयवस्तु थी और उनमें सहभागी पद्धतियों व उपकरणों का प्रयोग किया गया था। फील्ड टीम द्वारा फॉलोअप सत्रों की भी व्यवस्था की गई थी। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह था कि समुदाय की महिलाओं ने जो सीखा है उसको और सींचा जाए तथा उनको अपनी बस्ती में औरों के साथ अपनी जानकारियों के आदान–प्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी दौरान फील्ड विज़िट्स और आदान–प्रदान यात्राओं का भी आयोजन किया गया। क्षमतावर्धन अवधि के आखिर में लगभग 15–20 महिलाओं का एक समूह नेतृत्वकारी समूह के रूप में विकसित हो चुका था। इस पुस्तिका के छपने तक लगभग सारे प्रशिक्षण सत्र पूरे हो चुके थे।

कार्यशोध, खासतौर से महिला सुरक्षा ऑडिट के मुख्य नतीजों के आधार पर महिलाओं ने निकासी के मुद्दे पर स्थानीय सेवा विभागों के साथ चर्चा प्रारंभ की। जागोरी टीम ने स्थानीय

"किसी सरकारी महकमे के साथ साझेदारी तो हवाई जहाज की तरह है...। मैंने उसे कभी देखा तो नहीं लेकिन मैं उसे देखना चाहती हूं और उसमें बैठना भी चाहती हूं" स्थानीय सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करने के बारे में 40–45 साल की एक महिला का बयान।

अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे आग्रह किया कि वे स्थानीय महिलाओं से जाकर मिलें ताकि उनकी समस्याएं सुन सकें और संभावित समााधानों के बारे में चर्चा कर सकें। महिलाएं अभी भी स्थानीय अधिकारियों से नालियों की मरम्मत के रख–रखाव के लिए दबाव डाल रही हैं और समुदाय ने फौरन सकारात्मक नतीजे महसूस किए हैं। एक प्रायोगिक प्रयास के रूप में सेवा प्रदाताओं ने पुनर्वास बस्ती के कुछ हिस्सों में नालियों से ठोस कचरा निकाल दिया है और समुदाय के लोगों के साथ इस बात पर एक समझदारी बनी है कि आगे से लोग नालियों में कचरा नहीं फेंकेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरह का आदान–प्रदान दूसरी सेवाओं के सिलसिले में भी जारी रहेगा और सेवा प्रदाता महिला निवासियों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे।

इस अनुभव के आधार पर हमारा सुझाव है कि महिला सुरक्षा ऑडिट को संचालित करने वाले संगठनों को महिलाओं की जरूरतों को पहचानना चाहिए और उनका क्षमतावर्धन करना चाहिए ताकि वे खुद जरूरी सेवाओं के लिए स्थानीय सेवा प्रदाताओं के साथ बात कर सकें। गरीब समुदायों में अभिशासन के संबंधों को बदलना और जेंडर संवेदी शासन प्रक्रिया विकसित करना बवाना और भलस्वा, दोनों जगह एक लंबी प्रक्रिया है।

हमें उम्मीद है कि यह पुस्तिका उन सभी संगठनों के लिए उपयोगी साबित होगी जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं क्योंकि यह पुस्तिका दुनिया भर की गरीब बस्तियों में बुनियादी सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है। हम सभी समूहों और संगठनों से आह्वान करते हैं कि इस पुस्तिका में अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलाव करते रहें ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाया जा सके और यह स्थानीय संदर्भ के लिए अनुकूल हो। अगर आप अपने काम में सभी प्रकार की महिलाओं और लड़कियों को शामिल करेंगे तो आपके काम में निश्चय ही गहराई आएगी ओर इससे ऐसी सिफारिशें सामने आएंगी जो आपके समुदाय को सभी के लिए ज्यादा सुरक्षित और समावेशी बना सकती हैं।

परिशिष्ट

1 बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट

1. बजट क्या है?

सरकार को होने वाले मुनाफ़े व खर्चे के व्यवस्थित ब्योरे को बजट कहते हैं। किसी भी सरकार के साधारण बजट के दो हिस्से होते हैं – मुनाफ़ा और खर्चा। हर साल अप्रैल से शुरू होकर अगले मार्च तक का समय साल का बजट कहलाता है।

2. खर्चा कैसे विभाजित होता है?

बजट तीन सेवा कार्यों के लिए बांटा जाता है।

साधारण कार्यः प्राथमिक खर्चे का मतलब राज्य में कानून और आदेश के रखरखाव और उसे बनाए रखने के लिए है।

सामाजिक कार्यः इसके अन्दर राज्य द्वारा लोगों को बुनियादी सामाजिक सेवा कार्यों को उपलब्ध कराने के खर्चे आते हैं। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी और महिलाओं के लिए कल्याण, पानी की उपलब्धता और स्वच्छता, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा आदि से संबंध रखता है।

आर्थिक सेवा कार्यः खर्चा सरकार द्वारा बना होता है। जो कि राज्य के अंदर होने वाली आर्थिक और उत्पादन गतिविधियों को सीधे सीधे तौर पर बढ़ावा देता है। उदाहरणः कृषि व खेती से जुड़े विकास, ग्रामीण विकास, सिंचाई, औद्योगिक विकास आदि।

3. जेंडर के अनुकूल बजट क्या है?

जेंडर आधारित बजट का संबंध जेंडर (महिला व पुरूष की सामाजिक पहचान, उन्हें मिलने वाले अधिकार इत्यादि) संवेदनशीलता के नज़रिये से बजट की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, स्वीकृति देने, निगरानी, विश्लेषण करने और हिसाब की जांच करने से है। यह योजनाओं की स्थापना, योजनाओं को लागू करना, संसाधनों का बंटवारा, मार्गदर्शिकाओं को लागू करना व उसकी समीक्षा (दुबारा विचार), संसाधनों को प्राथमिकता और मूल्यांकन करते समय जेंडर संवेदनशीलता और महिलाओं के समय की ज़रूरतों को स्वीकार कर उन्हें शामिल करने जैसी बातों को सुनिश्चित करता है।

4. नाली, पानी, कूड़ा प्रबंधन व शौचालय के मुददों के लिए जेंडर आधारित बजट की आवश्यकता क्यों है?

हमारे समाज में महिलाओं की उत्पादक और प्रजनन भूमिकाएं होने के कारण उन पर पानी भरने और उसके प्रबंधन की ज़िम्मेदारियां उन्हीं पर हैं। नाली, पानी, कूड़ा प्रबंधन व शौचालय जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की कमी और असमानुपात का असर पुरूषों और लड़कों की अपेक्षा महिलाओं और लड़कियों की ज़िन्दगी पर अधिक पड़ा है। पानी व सफाई के मुददों/कार्यों पर कुशल व प्रभावकारी बजट बनने से हर तरीके से फायदा होगा, महिलाओं और लड़कियों की जिन्दगी में सुधार होगा। साथ ही पानी और सेनिटेशन सेवा कार्यो मे बजट बनाने के लिए जेंडर संवेदनशीलता, प्रावधान, योजना व मानक बन सकेंगे। ये योजनाएं पानी व सफाई सुविधाओं को समानता के साथ उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए मदद करेंगे।

5. नाली, पानी, कूड़ा प्रबंधन व शौचालय के मुद्दे: सुविधा मुहैया कराने वाले और उनसे जुड़ी योजनाएं

क्षेत्र की ज़िम्मेदारी	विभाग/ संस्था	योजना	उददेश्य/परिणाम
पानी की आपूर्त्ति व स्वच्छता	1.दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास	1.पुनर्वास कॉलोनियों में जल आपूर्ति के लिए उन्नति 1.ट्यूब वेल 2.हैंड पम्प 3.पानी की पाईप को नई मुख्य नली में लगाना/ गाड़ना 4.पानी की पाईप को पुरानी मुख्य नली में बदलकर/गाड़ना 5.पानी के टेंकर द्वारा आपूर्ति	जल आपूर्त्ति वितरण प्रणाली को सुधारना और पुर्नवास कॉलोनियों में पर्याप्त पानी को उपलब्ध करवाना

		2.झुग्गी झोंपड़ी में जल आपूर्ति के लिए उन्नति 1.टयूब बैल 2.हैंड पम्प 3.पानी की नई मुख्य नली में लगाना/गाड़ना 4.पानी की पुरानी मुख्य नली में बदलकर / गाड़ना 5.पानी के टेंकर द्वारा आपूर्ति	जल आपूर्ति वितरण प्रणाली को सुधारना और झुग्गी झोंपड़ी में पर्याप्त पानी को उपलब्ध करवाना
	2.सीवर, जल आपूर्ति	पुर्नवास कालोनियों में सीवर की सुविधा	सीवर लाईन सही ढंग से कार्यप्रणाली की स्थिति में रहे इसके लिए उसका रख़रखाव करने के लिए उपलब्ध सीवर नेटवर्क का नवीनीकरण और सुधार होना।
स्लम (बस्तियों) और झुग्गी झोंपड़ियों का रखरखाव व विकास	आई जे जे और स्लम विंग़, एम सी डी	1.झुग्गी झोंपड़ी में सुधार	झुग्गी झोंपड़ी में उत्तम रहन सहन और वातावरण के लिए झुग्गियों का रेखांकित कर बेहतर ढांचा बनाना।
		2.शहरी स्लम में वातावरण सुधार	झुग्गी झोंपड़ी में रहने के लिए वातावरण का सुधार
		3.जनसुविधा परिसर का इस्तेमाल और उसका मूल्य	जे जे कालोनी परिवार के सदस्यों को शौचालय और स्नानघर सुविधाएं उपलब्ध कराना
स्वच्छता सेवाएं	एम सी डी जेनरल विंग	1.झोंपड़ी और पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाएं	झोंपड़ी और पुर्नवास कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार
		2.झुग्गी झोंपड़ी में स्वच्छता	बेहतर स्वच्छता सेवाएं

ढांचे का विकास, स्वच्छता	1.एम सी डी	1.निगम पार्षद स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए फंड	एम सी डी द्वारा विशेष रूप से स्थानीय एरिया में निगम पार्षद हैं। स्थानीय विकास फंड निगम पार्षद को अधिकार अपने वार्ड की झुग्गी झोंपड़ियों के विकास कार्य करने के लिए।
ढांचा विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि	1.कार्यक्रम व आंकड़ा	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी.एल.ए.डी.एस)	इस योजना के अंर्तगत प्रत्येक एम पी के पास चुनाव है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिले में प्रमुख कार्यों के लिए सुझाव दे। हर साल दो करोड़ रूपये इन कार्यों के लिए वो ले सकता है।

2 पानी और सफाई
औरतों की कितनी पहुंच?

जागोरी, पिछले 6 सालों से बवाना बस्ती में समुदाय की महिलाओं, युवाओं व बच्चों के साथ उनके अधिकारों पर काम कर रही है। 2004 से अपने जुड़ाव के दौरान हमने महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ़, युवा लड़के एवं लड़कियों के अधिकार के मुदद्ों, बुनियादी नागरिक हकों जैसे राशन कार्ड व भोजन के अधिकार, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी ज़रूरतों तक पहुंच बनाने पर कार्य किया है। 2008 में एक जनसुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें पानी और सफाई पर समुदाय की ज़रूरतों और उनके अधिकारों के हनन पर खासतौर से ध्यान दिया। इस जनसुनवाई में समुदाय ने पानी और सफाई से संबंधित गंभीर समस्या को सामने रखा। हांलाकि लोगों की आवाज उठाने से स्थानीय अधिकारियों पर दबाव के कारण सेवाओं में कुछ फायदा हुआ परन्तु यह लम्बे समय तक नहीं रहा। इसी समय जागोरी ने तय किया कि महिलाओं के साथ जुड़ें ताकि उनकी **पानी, सफाई और शौचलाय की बुनियादी ज़रूरतों पर** गहराई से समझ बन सके। और साथ ही हम परख सकें कि इनका महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। फलस्वरूप जागोरी ने बवाना में इन मुदद्ों पर काम करने के साथ सहयोगी संस्था एक्शन इंडिया के साथ भलस्वा में काम शुरू किया।

जागोरी टीम ने बवाना में पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी पर अपनी गहरी समझ बनाई। बवाना क्षेत्र की नीति समीक्षा, विभिन्न ब्लॉकों में संबन्धित सेवाओं की उपलब्धता का अवलोकन किया। इसमें समुदाय में चुनिंदा महिलाओं के साथ चर्चाएं, नौ अलग–अलग स्थानीय समुहों के साथ केन्द्रित समूह चर्चाएं करने के बाद महिलाओं, लड़कियों, लड़के की भागीदारी से सेफ्टी ऑडिट किया। महिला व लड़कियों के भिन्न अनुभवों पर गहरी समझ बनाने के लिए एकल महिला, विकलांग, युवा लड़कियां से बातचीत की। इसके आलावा स्थानीय अधिकारी, डाक्टर (झोला छाप), स्थानीय नेताओं के साथ भी बातचीत की गई।

शोध का यह चरण मार्च 2009 से मार्च 2010 तक रहा।

महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी में असर डालने वाले मुख्य पानी व सफाई के मुदद्ः

- महिलाएं व लड़कियां मुख्य रूप से घरेलू कामों की ज़िम्मेदारी निभाती हैं। मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी के कारण महिलाओं और लड़कियों पर घरों के कामों की ज़िम्मेदारी की मांग बढ़ी है। उनका बहुत सारा समय पानी भरने, घरों के आस पास की नालियों को साफ करने व शौचालयों में नहाने धोने व शौच जाने के लिए लाईन में खड़े रहने में बर्बाद हो जाता है। स्कूल जाने वाली लड़कियों का कहना है कि लाईन में खड़े रहने के कारण अक्सर सुबह–सुबह स्कूल जाते समय ना तो खाना बना पाती हैं और ना खाना खा पाती हैं। इसी संदर्भ में यहां यह प्रश्न उठता है कि पीने का पानी भरने, शौच जाने की लाईन और नियम से पानी न मिलने के कारण जो भी समय लगता है उस समय की सामाजिक और आर्थिक कीमत कितनी है ?
- घर छोटा होने के कारण महिलाओं व लड़कियों को अपना समय ज़्यादातर अपने घर के बाहर (गली) में ही बिताना पड़ता है। औरतें यह जगह खाना बनाने, कपड़े धोने, अन्य काम व अपने बच्चों और पड़ोसियों से बातचीत आदि के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा नालियों का पानी सड़कों पर आ जाने के कारण गलियां और छोटी हो जाती हैं। औरतों को जब अपना जीवन गलियों में भरे ठोस कूड़े और पानी से भरी हुई नालियों के पास गुज़ारना पड़ता है तब यह बहुत ही असहनीय हो जाता है। उन्हें अपनी नीजि एकान्तता और अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं।
- घरों के बाहर वाली नालियां कभी–कभी महिलाएं खुद ही साफ करती हैं। कुछ महिलायें अपने घर की बाहर की नाली में पत्थर लगा देती हैं ताकि दूसरे घर का पानी उनकी तरफ न आये। मगर इससे पानी का आगे बहना बंद हो जाता है। इसके कारण पड़ोसियों से गंभीर झगड़े हो जाते हैं। यहां तक कि इन लड़ाईयों के कारण कुछ महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि उनके साथ पुरूषों (पड़ोसी) द्वारा मौखिक यौनिक शौषण हुआ है। यह एक और तरीका है जिससे इन महिलाओं को अपने आत्म सम्मान से समझौता करना पड़ता है।

- महिलाओं की सुरक्षा व गरिमा पर असर डालने वाला एक और मुद्दा जो शौच से संबंधित है। कई महिलायें शौचालय इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। वे चाहे शौचालयों के

बंद रहने के कारण, शौचालयों के लिए तय समय की अवधि, शौचालय शुल्क ना चुका पाने के कारण या गंदा रहने के कारण अख़बार में लपेट कर बाद में फेंकती हैं या नालियों में शौच करती हैं। इसके अलावा सामुदायिक शौचालयों में कूड़ों के डब्बों के न होने से महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के कपड़ों को फेंकना बहुत मुश्किल हो जाता है।

- कुछ महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि सामुदायिक शौचालयों में पुरूषों और लड़कों द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ होती है। महिला सामुदायिक शौचालयों का डिजाईन ऐसा है जिसमें छत का हिस्सा खुला है। इन खुली छतों से लड़के और आदमी ताका– झांकी करते हैं। जब बड़ी संख्या में लड़के सामुदायिक शौचालय के आस पास मंडराते हैं तो महिलाएं और लड़कियां असहज महसूस करती और डरती हैं।

बिजली की सुविधा महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाती है।

- बिजली चली जाने पर यहां पर पानी मिलना बंद हो जाता है। महिलाओं और लड़कियों को लगातार पानी जुटाने के लिए भागदौड़ करना और परेशानी उठानी पड़ती है। महिलाओं और लड़कियों को हर रोज़ यह तनाव अपनी ज़िंदगी में झेलना पड़ता है। जिनके पास बोरिंग पम्प हैं वे सुविधानुसार पानी भर पाते हैं जबकि बाकी कुछ लोग पड़ोसियों के घरों से पैसे देकर या फिर परिवार के पुरूषों के आने का इंतजार करते हैं। कई लोग तो नरेला रोड पर स्थित मंदिर से पानी भर कर लाते हैं।
- ज़्यादातर मामलों में, जब बिजली चली जाती है तो सामुदायिक शौचालयों में केयरटेकर जेनेरेटर्स का प्रयोग नहीं करते हैं। कई ब्लॉक की महिलाओं को पुरूषों वाले शौचालय में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अंधेरे में घर वापसी के समय महिलाओं को पूरी तरह से जोखिम उठाना पड़ता है।
- जेनरेटर का इस्तेमाल होने पर भी महिलाओं और लड़कियों के लिए अंधेरे में सामुदायिक शौचालयों में चलना जोखिम भरा हो जाता है। लंबे दौर में ये असुविधायें महिलाओं और लड़कियों स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ले जाती हैं।
- रात को शौचालय बंद हो जाने की वजह से जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। पिछले कुछ समय से खुले में शौच करने की जगह कम होती जा रही हैं। महिलाएं ये स्थान केवल अंधेरे में इस्तेमाल करती हैं, और उन्हे अपने साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या यौनिक शौषण हो जाने का डर रहता है। ये महिलाएं कभी अकेले नहीं जाती हैं और किसी अन्य महिला या लड़की का साथ चाहती हैं। लंबे दौर में रोजमर्रा के जीवन में इस कारण स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं क्योंकि अंधेरा होने तक वे अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को दबा कर रखती हैं।

- गर्भवती और विकलांग महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं के लिए पानी भरने या फिर शौच की लाईन में ज़्यादा देर तक खड़े रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी का भार उठाकर दूर तक चलना, उनके लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है। गीले में कहीं फिसल ना जाएं या भीड़ में अब गिरी तब गिरी का भय हरदम दिमाग़ में बना रहता है ।
- कूड़ेदान दूर होने व कूड़ेदानों की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए कूड़े को सड़क के किनारे, कोनों में, खाली प्लॉटों में फेंक देते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कूड़े फेंकने वाले के साथ बहस या मारपीट भी हो जाती हैं।
- कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग अन्य ब्लॉको के सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल या फिर खुले में शौच करते हैं। पानी के लिए भी इन्होंने अस्थायी रूप से व्यवस्था की है। महिलाएं और लड़कियां इन सेवाओं की प्राप्ती के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाती हैं। इन्हे ये सेवाएं मुहैया नहीं की गई हैं। इन बुनियादी सेवाओं के बारे में कच्ची बस्ती की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है।

सेफ्टी ऑडिट – बस्ती के अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण करना, लोगों से, महिलाओं से बात करना कि यह जगह औरतों के लिए कितनी सुरक्षित हैं।

यह समझने के लिए कि औरतों को पानी और सफाई की सेवाओं तक पहुंचने में कितनी समस्या आती है, उन्हें असुरक्षा का सामना करना पड़ता है जागोरी ने महिलाओं व युवाओं के साथ चुनिंदा सड़कों ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच ब्लॉक का सेफ्टी ऑडिट किया। नहर का क्षेत्र जो खुले में शौच के लिए प्रयोग किया जाता है, पॉवर हाऊस के आस पास व कच्ची बस्ती में

भी यह ऑडिट किया गया। केन्द्रित समूह चर्चा ने उन जगहों पर ध्यान आकर्षित किया जहां महिलाओं के साथ हिंसा होने या फिर हिंसा होने की संभावना को महसूस किया है। इन सेफ्टी ऑडिटों से निम्नलिखित स्थितियॉ सामने आईं जो महिलाओं और लड़कियों को पानी और सफाई सेवाओं के संदर्भ में कमजोर बनाती हैः

– नालियों की खराब डिजाईन, अनियमित देखरेख और पानी के बाहर बिखरने, गीला कूड़ा व मिट्टी का सड़क पर फैले रहने के कारण रास्तों पर चल पाना मुश्किल हो जाता है। सड़क पर पुरूष व लड़के अक्सर लड़कियों को छूकर, छेड़छाड़ करते हुए निकल जाते हैं। युवा लड़कियों ने बताया कि जब वे घर से बाहर सड़क पर निकलती हैं तो उन्हे हमेशा डर लगता है कि कहीं उनके साथ हिंसा ना हो जाए।
– सामुदायिक शौचालयों का अंधेरे और शाम को इस्तेमाल ना कर पाने जैसी परेशानी भी गंभीर है, ख़ासतौर पर बिजली जाने के बाद जब सामुदायिक शौचालय के आस पास के क्षेत्र में अंधेरा हो जाता है। लाईट जाने या शाम ढलने के बाद पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, ऐसी स्थिति में महिलाएं व लड़कियां सामुदायिक शौचालयों में नहीं जा पाती हैं। ऐसी स्थिति में या तो महिलाओं और लड़कियों को शौच जैसी बुनियादी ज़रूरत को रोकना या टालना पड़ता है या फिर खुले स्थान या नाली का प्रयोग करना पड़ता है।
– कुछ स्थान जहां फिल्में दिखाई जाती हैं वहां पुरूषों और लड़कों का जमावाड़ा लगा रहता है। आमतौर पर परिवार द्वारा युवा लड़कियों को पानी भरने के लिए इन जगहों पर नहीं भेजा जाता है, जिनके पास कोई उपाय नहीं है वे लड़कों द्वारा छेड़खानी का सामना करती हैं।
– कुछ साल पहले जो स्थान (जंगल) खुले में शौच के लिए प्रयोग किए जाते थे, अब वहां के पेड़ पौधे कट जाने से इस्तेमाल नहीं हो पाते। इन स्थानों में अब खुले में शौच करते हुए महिलाओं व लड़कियां को कोई भी देख सकता है इसलिए महिलाएं और लड़कियां खुले में शौच के लिए नहीं जा पाती हैं। कुछ मामलों में महिलाओं और लड़कियों के साथ मौखिक यौन हिंसा भी हुई है। शौच जाते समय की कुछ ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिनमें चोरी और लड़कियों को पकड़कर ले जाने की चर्चाएं हुई हैं। दिमाग में इस डर के कारण लड़कियां और महिलाएं अकेले खुले में शौच करने नहीं जाती हैं।

निगरानी

निगरानी की निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया के दौरान समुदाय में महिलाओं और युवाओं ने पानी और सफाई सेवाओं की निगरानी की अगुवाई ली। ख़ासतौर पर कुछ सामुदायिक शौचालयों में निगरानी का असर यह रहा कि वहां पर सेवाओं में कुछ सुधार हो रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों ने बताया कि उनके द्वारा सामुदायिक शौचालयों की निगरानी से सामुदायिक शौचालयों के आसपास

लड़कों के मंडराते रहने में कमी आई है। शौचालयों की निगरानी से शौचालयों में सफाई हो रही है।

भविष्य की योजना

- अगला चरण महिलाओं का गवर्नेंस पर नेतृत्व क्षमतावर्धन करना है ताकि वे स्थानीय सरकार और सेवाएं मुहैया करवाने वालों के साथ पानी और सफाई सेवाओं पर चर्चा कर कोई जेंडर संवेदनशील और असरदायक तरीका निकाल सकें।
- हुनर विकास सत्र जुलाई से सितम्बर तक महिलाओं और युवाओं के साथ होंगे।
- महिलाएं और युवा समुदाय में विजिट करेंगे जहां महिलाएं पानी और सफाई सुविधाओं को नारीवादी नज़रिये से सुनिश्चित करवाने के लिए अगुवाई लेंगी।

3 औरत का शरीर कुदरत का करिश्मा

क्या आप औरत या लड़की हैं? तब कुदरत ने आपको एक खास ताकत दी है–मां बनने की। केवल एक महिला ही 'मां' बन सकती है। यानी इन्सानों की दुनिया को आगे बढ़ाने की कुदरती क्षमता महिलाओं के पास ज्यादा है। इसके लिए कुदरत ने औरतों को खास अंग दिए हैं। औरत का शरीर मां बनने के लिए अपनी खास तैयारी भी करता है–माहवारी एक ऐसी ही तैयारी है।

माहवारी क्या है?

औरत के पेट में नीचे की तरफ एक बच्चेदानी बनी होती है। इसका रास्ता पेशाब के रास्ते के नीचे खुलता है। इस बच्चेदानी को हम अपने आप नहीं देख सकते। इस बच्चेदानी से उपर की ओर दो अंडकोषों में एक छोटा सा अंडा बन कर तैयार होता है। करीब मिट्टी के एक कण जितना छोटा। यह अंडा अंडेदानी से तैयार होकर बच्चेदानी की ओर दो नलियों के सहारे आता है। यह धीरे धीरे पक कर तैयार होता है। अगर तैयार अंडे में पुरूष से आया हुआ बीज मिल जाये तो बच्चा बनेगा। नही ंतो अंडा अपने आप खत्म हो कर बाहर निकल जाएगा।

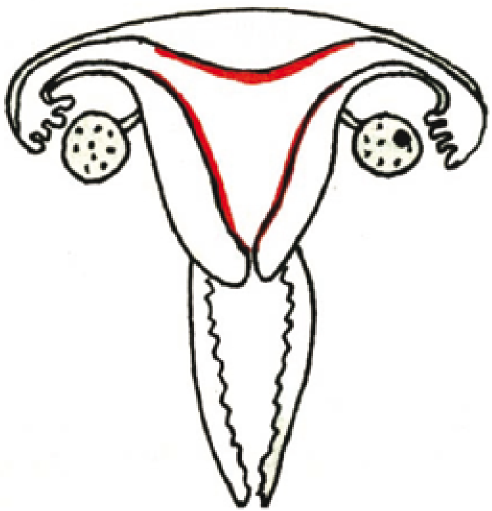

हर महीने अंडा पकने के बाद बच्चेदानी बच्चे के लिए तैयार करती है। उसी तरह जैसे मिट्टी को जोतकर, खाद डालकर फसल के लिए तैयार किया जाता है। बच्चेदानी की दीवारें मोटी होने लगती हैं। आने वाले नाजुक बच्चे के लिए एक नर्म बिस्तर जैसी परत तैयार होती है। यह परत ज्यादातर खून से बनती है।

अगर बच्चा बने तो इस नरम बिस्तर पर चिपक जाता है। अगर नहीं बने तो यह परत कुछ दिन बाद बेकार हो जाती है और टूट कर धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। इसे ही 'माहवारी' कहते हैं।

हर माहवारी चक्र में शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएँ

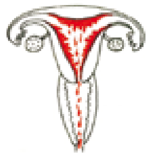

- बच्चादानी की परत से माहवारी का खून लगभग 3 से 7 दिन तक पड़ता है।
- खून पड़ने का पहला दिन चक्र का पहला दिन माना जाता है।

- जिन दिनों में गाढ़ा पानी गिरता है तब एक अंडा अंडकोष में तैयार हो रहा है।
- साथ–साथ बच्चादानी में खून की परत भी तैयार हो रही है।

- जिन दिनों में चाशनी तार जैसा पानी गिरता है तब एक अंडा अंडकोष में तैयार हो जाता है।

- जब तक चाशनी तार जैसा पानी गिरता है–अंडा नली में आदमी के बीज के साथ मेल के लिए तैयार है।

- मेल न होने पर अंडा एक दिन एक रात बाद मर जाता है।
- गाढ़ा पानी फिर से गिरने लगता है।

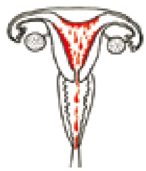

- बच्चा न ठहरने पर, जो खून की परत बच्चा पालने के लिए तैयार हुई थी–माहवारी के रूप में योनिद्वार से बाहर आ जाती है।
- फिर से अगला माहवारी– चक्र शुरू हो जाता है।

संदर्भः माहावारी, पॉपुलेशन एंड डेवेल्पमेंट एडूकेशन सेल स्टेट रिर्सोस सेंटर, शिमला हि.प्र.(1999)
शरीर की जानकारी, काली फॉर विमेन, नई दिल्ली (1998)

संदर्भ

जागोरी 2007, इज़ दिस आवर सिटी? मैपिंग सेफ्टी फॉर वीमेन इन डेल्ही।

जागोरी 2009, मार्चिंग टुगेदर, रेजिस्टिंग डावरी इन इंडिया, जागोरी, दिल्ली, 26 अक्तूबर 2010 को http://jagori.org/wp-content/uploads/2009/07/dowry_infopack.pdf पर देखा।

जागोरी 2010, अंडरस्टैंडिंग वीमेंस सेफ्टी, टुवर्ड्स ए जेंडर इनक्लुसिव सिटी, शोध निष्कर्ष, दिल्ली, 2009–10

मेनन–सेन, कल्याणी एवं गौतम भान, 2008, स्वैप्ट ऑफ दि मैप, सरवाइविंग ऐविक्शंस ऐण्ड रिसेटलमेंट इन डेल्ही, योदा प्रेस, जागोरी, दिल्ली।

मेट्राक : कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम, http://www.metrac.org/about/downloads/about.metrac.brochure.pdf पर 15 नवंबर 2010 को देखा।

यूएनडीपी 2010, एशिया पेसिफिक ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट, पावर वॉयसेज़ ऐण्ड राइट्स : ए टर्निंग प्वाइंट फॉन जेंडर इक्वेलिटी इन एशिया ऐण्ड दि पेसिफिक, यूएनडीपी, मैकमिलन, कोलंबो।

यूएन हैबीटेट 2008, दि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, 19 अक्तूबर 2010 को http://www.unhabitat.org/downloads/docs/7380_832_AssesmentFinal.pdf पर देखा।

यूएन हैबीटेट : अरबन गवर्नेंस इंडैक्स (यूजीआई)। उत्तम अभिशासन सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति को मापने का एक उपकरण। शहरी अभिशासन पर वैश्विक अभियान। 15 नवंबर 2010 को http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2232_80907_UGIndex.doc पर देखा।

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर,
नई दिल्ली – 110017
फोनः .91 11 2669 1219
.91 11 2669 1220
टेलीफैक्स : .91 11 2669 1221
जागोरी हेल्पलाइन : .91 11 2669 2700
jagori@jagori.org
www.jagori.org